<u>भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-I खंड I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/23/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

*****

दिनांक: 06 अगस्त, 2024

मामला सं. एडी (ओआई)-22/2023
<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

विषय: चीन जन. गण., के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

फा. सं. 6/23/2023-डीजीटीआर: - यह समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे 'आवेदक' या 'घरेलू उद्योग' भी कहा गया है) ने 1995 और उसके बाद यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का

आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे 'नियमावली' भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **"थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन (टीपीयू)"** (जिसे आगे 'संबद्ध वस्तु' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/23/2023-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर 2023 के माध्यम से एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसके तहत नियमावली के नियम 5 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 9क के अनुसार संबद्ध जांच की शुरूआत की गई ताकि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी उचित राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

क. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 29 सितंबर 2023 को प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध वस्तु ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जांच शुरूआत अधिसूचना

की एक प्रति भेजी थी। हितबद्ध पक्षकारों से जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित प्रपत्र और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा विहित समय सीमा के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

घ. प्राधिकारी ने आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और भारत में उनके दूतावास को को भेजी थी।

ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को उत्पादकों / निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे अपने देश के निर्यातकों / उत्पादकों को जांच शुरूआत अधिसूचना में विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दें।

च. हितबद्ध पक्षकारों को अगोपनीय आवेदन के परिचालन की तारीख से 15 दिनों के भीतर पीयूसी के दायरे संबंधी अपनी टिप्पणियां और प्रस्तावित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) यदि अपेक्षित हों, को प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

छ. हितबद्ध पक्षकारों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी के समक्ष दस्तावेज के अगोपनीय अंश के परिचालन के 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

ज. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव संबंधी जानकारी मंगाने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (जिसे आगे ईआईक्यू कहा गया है) भी जारी की थी।

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को प्रश्नवलियां भेजी थीं:

i. वानहुआ केमिकल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड
ii. शेडोंग इनोव पॉलीयूरेथेन कंपनी लिमिटेड
iii. वानहुआ केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड

iv. शेडोंग हुआडा केमिकल न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
v. यंताई जिनबेई केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
vi. बाओडिंग बंगताई पॉलिमरिक न्यू-मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड
vii. शेडोंग डॉन पॉलिमर कंपनी लिमिटेड
viii. चुआंग शिन ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
ix. ग्रैंड डिग्निटी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
x. यंताई लिंगुआ न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
xi. निंगबो जोन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
xii. बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड
xiii. झेजियांग हुआफॉन टीपीयू कंपनी लिमिटेड
xiv. मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड
xv. सिंगबोन न्यू मटेरियल्स (शेडोंग) कंपनी लिमिटेड और यंताई सिंगबोन न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

ञ. उक्त अधिसूचना के उत्तर में संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण किया है।

i. बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज़ चाइना कंपनी लिमिटेड (बी ए पी एस)
ii. बीएएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (बी आई टी सी)
iii. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड (बी एच के एल)
iv. बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (बीआईएसएल)
v. झेजियांग हुआफॉन टीपीयू कंपनी लिमिटेड(हुआफॉन)
vi. मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड (मिराकल)
vii. यंताई सिंगबोन न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
viii. सिंगबोन न्यू मटेरियल्स (शांडोंग) कंपनी लिमिटेड

ट. प्राधिकारी नोट करते हैं कि सिंगबोन न्यू मटेरियल्स (शांडोंग) कं., लिमिटेड और यंताई सिंगबोन न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है, परंतु प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने जांच की प्रक्रिया के दौरान कोई अनुरोध भी प्रस्तुत नहीं किया है।

ठ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं:

i. जी आर इंडस्ट्रीज
ii. पॉलीहोज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iii. तिरुपति ग्लोबल इंटरनेशनल
iv. सेन होन ली टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
v. एक्सेल पॉलिमर इंडस्ट्रीज
vi. इलेक्ट्रा एंटरप्राइज एलएलपी
vii. पी वी इंजीनियरिंग एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
viii. लैनशांग इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड
ix. कैल्सिया फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड
x. ग्लोबकेम इम्पोर्ट्स
xi. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड
xii. ले मेई प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
xiii. अडानी इंटरनेशनल
xiv. सौरव फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड
xv. एमएस केमिकल कॉर्पोरेशन
xvi. राजस्थान प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
xvii. प्लास्टिसेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

ड. निम्नलिखित आयातक / प्रयोक्ताओं ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया है।

i. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड (बी आई एल)
ii. एक्सेल पॉलिमर इंडस्ट्रीज
iii. एसेंटेक्स कंपनी
iv. रॉयल मार्केटिंग

ढ. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है परंतु जांच की प्रक्रिया के दौरान लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

i. एक्सेल पॉलिमर इंडस्ट्रीज
ii. एसेंटेक्स कंपनी
iii. रॉयल मार्केटिंग

ण. निम्नलिखित कंपनियों ने न तो स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है और न ही प्रश्नावली का उत्तर दिया है, परंतु जांच की प्रक्रिया के दौरान लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।

i. कैल्सिया फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड (कैल्सिया)
ii. जेमिनी एंड कंपनी (जेमिनी)
iii. एनके (इंडिया) रबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड(एनके)
iv. राजकोट मोबाइल कवर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ("आर एम सीए म ए")
v. पीयू लेदर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन

त. संबद्ध देश से ऐसे उत्पादकों / निर्यातकों जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है या जांच में सहयोग नहीं किया है, को इस जांच में असहयोगी माना गया है।

थ. हितबद्ध पक्षकारों को आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 15 दिनों का समय पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था जो 24 अक्टूबर, 2023 को समाप्त हो गया । किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीयूसी के दायरे या प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के लिए विहित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी को कोई टिप्पणी या प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

द. तदनुसार, प्राधिकारी ने सूचना संख्या 6/23/2023-डीजीटीआर दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 के माध्यम में संबद्ध जांच में पीयूसी के दायरे और पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 30 अक्टूबर 2023 से प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। कतिपय हितबद्ध

पक्षकारों के अनुरोध पर प्राधिकारी ने प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए 2 सप्ताह का समय अर्थात् 13 दिसंबर, 2023 तक समय बढ़ाया था।

ध. डीजी सिस्टम और डीजीसीआई&एस से क्षति अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के सौदेवार ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को वह प्राप्त हुए और उन पर जांच की शुरूआत तथा वर्तमान प्रकटन विवरण समय विचार किया गया है।

न. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (''पीओआई'') 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की है। वर्तमान जांच की अवधि के लिए 01 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 01 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 01 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और पीओआई की अवधि शामिल है।

प. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को 21 मई, 2024 को हुई एक सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के बारे में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध और उसके बाद खंडन अनुरोध यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से आगे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ लिखित अनुरोध के अगोपनीय अंश को शेयर करने निदेश भी दिया गया था।

फ. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धातों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

ब. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की गई सूचना की जांच और मौके पर सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में उस पर भरोसा किया गया है।

भ. संबद्ध देश से सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था और वर्तमान अंतिम जांच के प्रयोजनार्थ उन पर भरोसा किया गया है।

म. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को व्यापार सूचना संख्या 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल 2020 के माध्यम से विहित ढंग से परस्पर आधार पर उपलब्ध कराया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना / अनुरोध की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी।

य. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी तर्कों और सूचना पर उनके साक्ष्य द्वारा समर्थित होने और वर्तमान जांच से संगत होने तक सीमा तक विचार किया है।

कक. संबंधित नियमावली के नियम 16 के अनुसार इस जांच के अनिवार्य तथ्यों का ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 23 जुलाई 2024 के प्रकटन विवरण के माध्यम से प्रकटन किया गया था और प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई तत्संबंधी टिप्पणियों पर इस अंतिम जांच परिणाम में ध्यान दिया गया है।

खख. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

गग. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा पीओआई के लिए अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 81.06 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

4. जांच की शुरूआत के समय यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

> *"3.विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन'' (''टीपीयू'') है। टीपीयू एक पिघल प्रक्रिया योग्य*

थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें प्लास्टिक और रबड़ के अद्वितीय गुण होते हैं, जिसमें लोच, पारदर्शिता और तेल, ग्रीज और घर्षण का प्रतिरोध शामिल है। टीपीयू थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें रैखिक खंडित ब्लॉक कॉपोलीमर होता है जो कठोर और नरम खंडों से बना होता है। विचाराधीन उत्पाद में टीपीयू जोकि पाउडर, ग्रैन्यूल्स, छरों, असंशोधित या रंगों, भराव या अन्य एडिटिव्यस द्वारा संशोधित रूप में हो सकता है, शामिल है।

4. टीपीयू एक अद्वितीय प्रकार का प्लास्टिक है जो रबड़ और प्लास्टिक के बीच की खाई को पाटता है। टीपीयू एक तरफ रबड़ और दूसरी तरफ थर्मोप्लास्टिक सामग्री को चिन्हित करने वाली कई शक्तियों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए टीपीयू को मान्यता और संपीड़ित भार के तहत विकृत किया जा सकता है। लेकिन बाद में अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। इसके अलावा, इसे गर्म होने पर खींचा जा सकता है, और जब गर्म भी किया जाता है, तो उन्हें बार-बार पिघलता और ढाला जा सकता है। टीपीयू की बहुमुखी प्रतिभा की कुंजी यह है कि इसकी कठोरता को अत्यधिक अनुकूलित किया जा सकता है। टीपीयू रबड़ की तरह नरम या कठोर प्लास्टिक की तरह कठोर हो सकता है। टीपीयू पकड़ प्रदान करने के लिए पारदर्शी या रंगीन या कठार या नरम / चिकना हो सकता है।

5. टीपीयू पॉलीओल्स (पॉलिएस्टर या पॉलीथर या पॉलीकेप्रोलैक्टोन आधारित या इनमें से एक संयोजन) डायसोसाइनेट्स और शार्ट-चेन डायोल्स की प्रतिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए इनमें एडिटिव्यस जोड़े जा सकते हैं। सभी तथ्वों के संयोजन से कठोरता और यांत्रिक गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त की जा सकती है। विचाराधीन उत्पाद आवेदक द्वारा विभिन्न ग्रेड में पेश किया जाता है। हालांकि ये अलग-अलग ग्रेड केवल गुणों के संदर्भ में भिन्न हैं। जिन्हें प्रक्रिया मापदंडों पर नियंत्रण और विशिष्ट एडिटिव्स के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी ग्रेड एक वस्तु के रूप में समान रहते हैं।

6. उत्पादन के दायरे में पॉलिएस्टर आधारित टीपीयू के साथ-साथ पॉलीएथर आधारित टीपीयू शामिल हैं और पॉलीकैप्रोलैक्टोन आधारित टीपीयू को विशेष रूप से उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

7. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मोटर वाहन उपकरण पैनलों, कृषि (पशु आईडी टैग), कास्टर पहियों, बिजली उपकरण, खेल के सामान, चिकित्सा उपकरणों, ट्यूब व नली, बेल्ट और प्रोफाइल उद्योग, फुटवियर, इनफ्लेटेबल राफ्ट, एक्सट्रूडेड फिल्म, शीट और प्रोफाइल अनुप्रयोगों की विविधता, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बाहरी मामलों, लैपटॉप के लिए की-बोर्ड रक्षक आदि सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। टीपीयू, प्रीमियम मोटरसाइकिल के साथ-साथ यात्री कार बाजार के अंदरूनी हिस्से में रबड़ और पीवीसी (पोलीविनाइल क्लोराइड) का स्थान ले रहा है।

8. जांच अधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के कस्टम टैरिफ शीर्षक 39095000 के अंतर्गत किया जा रहा है। हालांकि, यह संभव है कि विषय वस्तुओं को अन्य शीर्षकों के तहत भी आयात किया जा सकता है और इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन जन. गण. से भारत को निर्यातित पीयूसी के विनिर्देश, कम मूल्यवर्धित उत्पादों से उच्च मूल्यवर्धित उत्पादों में रूपांतरित हो रहे हैं। उत्पादन डिजाइन की जटिलता और उपभोक्ता अनुकूलन की मांग बढ़ गई है। कुछ तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों को घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं की ऐसी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु ऐसे उपभोक्ताओं को कड़ी मांग को पूरा नहीं करती है जो फुटवियर के निर्यातक है और अपने फुटवियर के सोल एनके से लेते हैं।

ग. कैल्सिया और जेमिनी ने घरेलू उद्योग से टीपीयू ग्रेड लिए हैं। तथापि, वह अन्य देशों में उनके ग्राहकों की मांग को पूरा नहीं करते हैं। झेजियांग हुआफोन टीपीयू

कंपनी लिमिटेड, चीन गुणवत्ता विनिर्देशों और कीमत करारों के लिए अन्य देशों में अपने ग्राहकों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित है। यह भी अनुरोध किया गया है कि उपभोक्ताओं जो प्रतिष्ठित ब्रांड हैं, से यह अनुमोदन आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री की आवश्यक जांच के बाद प्राप्त हुआ है।

घ. एक्सेल के उपभोक्ता ने अपने आपूर्तिकर्ता झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड, चीन की व्यापक जांच की है और वह एक मात्र कंपनी थी जिसने अपने उपभोक्ता की कड़ी परीक्षण जरूरतों को पास किया था।

ड. अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड वैश्विक पुन: चक्रण योग्य मानक ग्रेड (**"जीआरएस" ग्रेड**) के प्रयोग की वकालत करते हैं ताकि पर्यावरण संबंधी संपोषणीयता को बढ़ावा दिया जा सके। घरेलू उद्योग इन ग्रेडों का उत्पादन नहीं करता है। ये ग्रेड वैश्विक रूप से कुछ चुनिंदा विनिर्माताओं द्वारा ही विनिर्मित होते हैं और चीन जन. गण. इस श्रेणी में सबसे बड़ा है। वर्तमान आपूर्तिकर्ता झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. ने पहले ही जीआरएस ग्रेडों के विनिर्माण के लिए जीआरएस प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और अन्य देशों में उनके उपभोक्ताओं ने उनके गुणवत्ता विनिर्देशन भी अनुमोदित किए हैं।

च. घरेलू उद्योग भी टीपीयू बनाने के लिए चीन जन. गण. से अपनी कच्ची सामग्री के प्रमुख आयातों पर निर्भर है। घरेलू उद्योग के पास अपनी भारतीय सुविधा है, जो पुरानी प्रौद्योगिकी की है, में केवल सीमित ग्रेडों के उत्पादन की सुविधा है। घरेलू उद्योग के उत्पाद / ग्रेड मोबाइल, फोन कवर अनुप्रयोगों के तकनीकी रूप से अक्षम हैं।

छ. लेदर क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने दावा किया है कि उसके सदस्य पॉलीयूरेथेन रेज़िन ("पीयू रेज़िन") का अपनी विनिर्माण प्रक्रिया में एक इनपुट उत्पाद के रूप में प्रयोग करते हैं। पीयू रेजिन और टीपीयू समान सीमा शुल्क टैरिफ शुल्क अर्थात 39095000 के अंतर्गत आते हैं। एसोसिएशन यह आशा करती है कि यदि प्राधिकारी द्वारा टीपीयू पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जाती है और वित्त मंत्रालय द्वारा उसे लगाया जाता है तो आयात के समय सीमा शुल्क में दोनों उत्पाद

के बीच भ्रम हो सकता है। इस प्रकार ऐसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि पीयू रेजिन को पीयूसी के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा जाए।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

6. विचाराधीन उत्पाद के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा विहित समय सीमा के भीतर पीयूसी के दायरे संबंधी कोई टिप्पणी या अनुरोध नहीं किए हैं ना ही पीसीएन संबंधी कोई भी अनुरोध नहीं किए हैं।

ख. कैल्सिया, जेमिनी, एनके और आरएमसीएमए ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं किया है और आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार पीयूसी के दायरे संबंधी उनके लिखित अनुरोध पर प्राधिकारी को विचार नहीं करना चाहिए।

ग. व्यापार सूचना संख्या 11/2018 हितबद्ध पक्षकारों के पंजीकरण और जांच की प्रक्रिया के दौरान पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के महत्व संबंधी जांच प्रक्रिया को सुचारू बनाने की व्यवस्था करती है। इस प्रकार, यदि कोई कंपनी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत नहीं होती है और दी गई समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर नहीं देती है तो प्राधिकारी उस कंपनी के अनुरोध पर ध्यान नहीं देंगे। इसके अलावा, यदि कोई हितबद्ध पक्षकार पंजीकरण करता है परंतु प्रश्नावली का उत्तर नहीं देता है तो उसके अनुरोध को कम महत्व दिया जाएगा।

घ. फोरेच इंडिया लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी और अन्य मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्राधिकारी द्वारा उनकी स्वयं की व्यापार सूचनओं में निर्धारित पर्याप्त और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को सभी मामलों में पूरा करना होगा और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा ढील नहीं दी जा सकती है।

ड. प्राधिकारी को संबद्ध जांच में कैल्सिया, जेमिनी, एनके और आरएमसीएमए को हितबद्ध पक्षकार नहीं मानना चाहिए। परिणामस्वरूप कैल्सिया, जेमिनी, एनके और

आरएमसीएमए द्वारा किए गए अनुरोध को केवल इस कारण से अस्वीकृत कर देना चाहिए।

च. एक्सेल पॉलिमर इंडस्ट्रीज, रॉयल मार्केटिंग और एसेंटेक्स कंपनी ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है परंतु आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

छ. मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय मामले में माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अपीलीय न्यायाधिकरण (सीस्टेट) ने यह संमुक्ति की कि यदि आयातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं देता है तो पाटनरोधी जांच में वह स्वयं को एक आयातक के रूप में स्थापित नहीं कर सकता है।

ज. एक्सेल पॉलीमर इंडस्ट्रीज, रॉयल मार्केटिंग और एसेंटेक्स कंपनी को असहयोगी आयातक / प्रयोक्ता माना जाना चाहिए और व्यापार सूचना संख्या 11/2018 के अनुसार इनके द्वारा किए गए अनुरोधों को कम महत्व दिया जाना चाहिए।

झ. कैल्सिया और एक्सेल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज ने यह दर्शाने के लिए अपने आयातों संबंधी कोई सूचना नहीं दी है कि उनके द्वारा जीआरएस ग्रेड का आयात किया गया है। इस प्रकार यह सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि क्या जीआरएस ग्रेड के आयात संबंधी उनका दावा सही है या नहीं और यह भी की कि क्या घरेलू बाजार में जीआरएस की कोई मांग है।

ञ. यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 17 जून 2020 के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने यह संमुक्ति की थी कि जब या सत्यापित नहीं किया जा सकता है कि क्या उत्पाद की किसी मांग को बाहर रखने का अनुरोध किया गया है तो उस उत्पाद प्रकार को बाहर नहीं रखा जा सकता है।

ट. कैल्सिया और एक्सेल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज ने जीआरएस ग्रेड के कोई तकनीकी विनिर्देशन प्रदान नहीं किए हैं और यह सामान्य और धारणात्मक अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग जीआरएस ग्रेड का उत्पादन नहीं कर रहा है। जीआरएस ग्रेड के सामान्य विवरण पर आधारित अपवर्जन के दावे के लिए आधार टीपीयू को जीआरएस ग्रेड के आयात घोषित करके भविष्य में पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना का अवसर सृजित करना है।

ठ. जीआरएस किसी अंतिम उत्पाद में पुन: चक्रण की सामग्री की मात्रा की जांच और सत्यापन करने के लिए एक शैक्षिक मानक उत्पाद है। यह मानक पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर लागू होता है और पता लगाने, पर्यावरण सिद्धांतों, सामाजिक अपेक्षाओं, रासायनिक मात्रा और लेबलिंग का समाधान करता है। जीआरएस में न्यूनतम 20 प्रतिशत पुन: चक्रण सामग्री वाले सभी उत्पादों का प्रसंस्करण, विनिर्माण, पैकेजिंग, लेबलिंग, व्यापार और वितरण शामिल है। इसमें पुन: चक्रित मात्रा के तीसरे पक्ष के प्रमाण, अभिरक्षा श्रृंखला, सामाजिक और पर्यावरण प्रक्रियाएं और रासायनिक प्रतिबंध के लिए अपेक्षाएं भी निर्धारित हैं। यह मानक अपने उत्पाद में पुन: चक्रण मात्रा का सत्यापन देखने वाली कंपनियों तथा इन उत्पादों के उत्पादन में उत्तरदायी सामाजिक, पर्यावरणीय और रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है। जीआरएस का वांछित प्रभाव ब्रांडों को अधिक सटीक लेबलिंग के लिए एक साधन उपलब्ध कराना है ताकि पुन: प्राप्त सामग्रियों के प्रयोग में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके, आपूर्ति श्रृंखला में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और उपभोक्ताओं को बेहतर जानकारी दी जा सके। जीआरएस का लक्ष्य उत्पादों में पुन: चक्रित सामग्री के प्रयोग को बढ़ाना और उसके उत्पादन से होने वाले नुकसान को कम या समाप्त करना है। इस प्रकार जीआरएस ग्रेड एक अनिवार्य अपेक्षा नहीं है और अलग तकनीकी विनिर्देशन वाला कोई विशिष्ट उत्पाद ग्रेड नहीं है। यह प्रभावी रूप से तैयार वस्तु में पुन: चक्रित सामग्री / कच्ची सामग्री की न्यूनतम मात्रा का एक प्रमाणन है।

ड. कैल्सिया और एक्सेल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि घरेलू उद्योग को जीआरएस ग्रेड की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया गया

था और घरेलू उद्योग कैल्सिया और एक्सेल को ऐसे ग्रेड की आपूर्ति नहीं कर पाया। घरेलू उद्योग को आज की तारीख तक संबद्ध वस्तु के जीआरएस ग्रेड की अपेक्षा विनिर्दिष्ट करने वाला कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है।

ढ. प्राधिकारी की यह संगत प्रक्रिया है कि वे जांच करें कि क्या किसी प्रयोक्ता / उपभोक्ता ने घरेलू उद्योग के पास पीयूसी के किसी विशिष्ट ग्रेड का ऑर्डर दिया है और घरेलू उद्योग ऐसे विशिष्ट ग्रेड की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं रहा है या उसने ऐसे ऑर्डर को पूरा करने में अपनी असमर्थता जताई है।

ण. यदि जीआरएस ग्रेड के लिए ऐसे ग्रेड का कोई तकनीकी विनिर्देशन बताए बिना ही कोई अपवर्जन दिया गया है तो उसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना होगी। सीमा शुल्क प्राधिकारी आयात के समय यह सत्यापन नहीं कर सकते हैं कि क्या आयातित टीपीयू जीआरएस ग्रेड है। यदि प्राधिकारी द्वारा कोई तकनीकी विनिर्देशन विहित नहीं किए गए हों।

त. यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पाद से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 17 जून 2020 के अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने कतिपय विशिष्ट ग्रेडों और / या गैर प्राइम उत्पाद को बाहर रखने के अनुरोध को अस्वीकार किया जब यह निर्धारित हुआ था कि ऐसे कोई स्पष्ट भौतिक गुण या तकनीकी अंतर नहीं हैं, जो ऐसे उत्पाद प्रकारों को अलग करते हों।

थ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेची गई संबद्ध वस्तु और चीन जन. गण. से आयातित जीआरएस ग्रेड कार्यात्मक रूप से प्रतिस्थापनीय और समान अंतिम उपयोग के कारण बाजार में प्रतिस्थापनीय हैं। मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय मामले में सीस्टेट ने यह संमुक्ति की थी कि जांच के उत्पाद के कतिपय प्रकार / ग्रेड को बाहर रखने की वहां पर अनुमति है, जहां आयातित उत्पाद स्वदेशी उत्पाद से वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा नहीं करता हो और इसलिए उसके आयात से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती हो।

द. डीएसएम इडेमिट्सू लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीस्टेट ने यह संमुक्ति की थी कि अपीलकर्ता ने या सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य / तकनीकी सामग्री नहीं प्रस्तुत की है कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित उत्पाद भारत में निर्यातित वस्तु से भिन्न था। उन्होंने केवल यह कहा कि वे अलग-अलग ग्रेड हैं। सीस्टेट ने अपीलकर्ता की दलीलों को रद्द कर दिया।

ध. कजारिया सेरामिक्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीस्टेट ने विभिन्न ग्रेडों को अप्रासंगिक बताया जब यह ज्ञात है कि भारत आयातित ग्रेड पाटित कीमतों पर और वे घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए ग्रेड का स्थान ले सकते हैं।

न. इसके अलावा, डीएसएम इडेमिट्सू लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में माननीय सीस्टेट ने भी यह तथ्य माना कि गुणवत्ता में अंतर का अर्थ यह नहीं है कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तुएं नहीं हैं।

प. कैल्सिया और एक्सेल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज ने सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोधों में पहली बार जीआरएस ग्रेड के बारे में यह बताया है। कैल्सिया और एक्सेल पॉलिमर्स इंडस्ट्रीज ने चीन जन. गण. में हुआफोन से संबद्ध वस्तु के जीआरएस ग्रेडों के अपने आयातों का कोई साक्ष्य नहीं दिया है।

फ. कैल्सिया 2019 तक नियमित रूप से घरेलू उद्योग से संबद्ध वस्तु खरीद रहा था। तथापि, कैल्सिया ने चीन जन. गण. से आयातों से सामान लेना शुरू कर दिया। कैल्सिया ने घरेलू उद्योग द्वारा कैल्सिया को आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु या ग्रेड के बारे में कभी कोई आपत्ति नहीं की। आपूर्तिकर्ता में बदलाव का कारण चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की कम पाटित कीमत है।

ब. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीपीयू ग्रेड मोबाइल उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह दावा वास्तव में गलत है। टीपीयू आदि के तकनीकी विनिर्देशनों के ग्रेड या कोई विशेष ब्यौरे के संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं है जो मोबाइल कवर के उत्पादन के लिए अपेक्षित हो और जिसे घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति नहीं किया जा सकता हो। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और आपूर्ति की गई टीपीयू मोबाइल उत्पादन के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की

गई टीपीयू का बेहतर साइकल टाइम, प्रसंस्करण और पारदर्शिता है, परंतु कम कीमत के कारण उपभोक्ताओं ने चीन जन. गण. से निर्यातों को अपना लिया है। घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए टीपीयू को मोबाइल कवर बनाने में नियमित रूप से प्रयोग किया जाता है। मोबाइल कवर बनाने के लिए आपूर्ति किए गए टीपीयू की मात्रा और प्रमुख उपभोक्ताओं के ब्यौरे घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

भ. घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए पीयूसी की गुणवत्ता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध सामान्य और निराधार आरोप हैं । किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने यह सूचित नहीं किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया टीपीयू परीक्षित था और उनके आर एंड डी विभाग या उपभोक्ता निरीक्षण दलों द्वारा अनुमोदित नहीं था। मोबाइल कवर या जूते के सोल के लिए टीपीयू के आयातक / प्रयोक्ताओं ने यह दर्शाने के लिए कोई परीक्षण रिपोर्ट नहीं दी है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित उत्पाद अनुपयुक्त है। घरेलू उत्पाद के परीक्षण में विफलता या मनाही से यह पता नहीं चलता है कि वह अनुचित गुणवत्ता के लिए है।

म. घरेलू उद्योग एक बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन का हिस्सा है जिसके भारत के बाहर देशों में भी टीपीयू निर्माण संयंत्र हैं। किसी बहुराष्ट्रीय निगम के लिए विभिन्न देशों में विनिर्माण सुविधा स्थापित करना तब संभव नहीं होता यदि उसका उत्पाद वैविश्वक मानकों की गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धी नहीं हो। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने भारत में उत्पादित टीपीयू को अन्य देशों को भी निर्यात किया है। भारत या भारत के बाहर उनके किसी भी उपभोक्ता ने घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए टीपीयू की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया है।

य. जेमिनी ने घरेलू उद्योग के एक डीलर से संबद्ध वस्तु खरीदी है और जेमिनी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित गुणवत्ता और ग्रेड उनकी जरूरत के लिए उचित नहीं है। जेमिनी द्वारा केवल यह विवरण कि घरेलू उद्योग की गुणवत्ता उनके मानक के अनुरूप नहीं है जिसका कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, पर प्राधिकारी को विचार नहीं करना चाहिए।

कक. यह एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी उत्पाद ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर करने के लिए गुणवत्ता कोई मापदंड नहीं है। प्राधिकारी की यह संगत प्रक्रिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित उत्पाद की घटिया गुणवत्ता के लिए दावे के आधार पर उत्पाद ग्रेड का कोई अपवर्जन न दिया जाए।

खख. निम्नलिखित मामलों में घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु की घटिया गुणवत्ता संबंधी मुद्दे पर पीयूसी के दायरे से उत्पाद प्रकार को बाहर रखने और / या भारत में उत्पाद के पाटन को क्षमा करने के लिए उचित नहीं माना गया था।

i. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात- के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्लेज्ड न्यूजप्रिंटों को छोड़कर रोलो या शीटों में प्रिंट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - दिनांक 19 जनवरी 2021

ii. कोरिया गणराज्य, जापान और सिंगापुर से इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड स्टील के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - 27 जुलाई 2022

iii. चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न- से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 सितंबर 2023

गग. इस दावे के संबंध में कि टीपीयू के उत्पादन के लिए घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से कच्ची सामग्री का आयात करता है, घरेलू उद्योग ने पहले ही प्राधिकारी को इन आयातों का प्रकटन किया है। नियमावली में यह अपेक्षित नहीं है कि किसी उत्पादन पर पाटनरोधी शुल्क की मांग करने वाले भारत में उसके विनिर्माता घरेलू उद्योग को उस उत्पाद के लिए चीन जन. गण. से कच्ची सामग्री के आयात से बचना चाहिए।

घघ. प्राधिकारी द्वारा की गई पूर्ववर्ती जांचों में चीन जन. गण. से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध करने वाले भारत का घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से कच्ची सामग्री का आयातक भी था। ऐसी जांचों के कुछ प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है:

i. चीन जन. गण. के मूल अथवा वहां से निर्यातित बसों और लॉरियों या ट्रकों में प्रयोग होने वाले रबड़ की ट्यूब और / या फ्लैप सहित या उनके बिना नए / अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर (ट्यूबलेस टायर सहित) इसका नोमिनल रिम व्यास कोड 16 इंच से अधिक हो, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच अंतिम जांच परिणाम दिनांक 1 अक्टूबर 2017 - कार्बन ब्लैक जो टायर के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री है, को घरेलू उद्योग द्वारा चीन जन. गण. से आयातित किया गया।

ii. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लोरोबैकशीट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 मार्च, 2022 - फ्लोरोबैकशीट के उत्पादन में प्रयुक्त पोलीविनाइलीथीन कच्ची सामग्री को चीन जन.गण. से आयातित किया गया है।

iii. चीन जन. गण. से सोलर सेल चाहें मॉड्यूल या पैनल या ग्लास या किसी अन्य उपयुक्त सबस्ट्रेट से आंशिक रूप से या पूर्णत: संयोजित हों अथवा नहीं, के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम 22 मई, 2014- कच्ची सामग्री जैसे सिलीकोन वेफर, फ्लोरोबैकशीट, ईवीए शीटों आदि का सोलर सेल और मॉड्यूल के उत्पादन के लिए चीन जन. गण. से आयात किया गया है।

iv. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्युमिनियम फोइल से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10 मार्च, 2017 एल्युमिनियम फोइल के उत्पादन में प्रयुक्त फोइल स्टॉक को घरेलू उद्योग द्वारा चीन जन. गण. से आयात किया गया था।

v. चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अलाय या गैर अलाय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों संबंधी पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10 अप्रैल 2017 - अलाय या गैर अलाय के हॉट रोल्ड उत्पादन के लिए जरूरी मेट कोक को आयात चीन जन. गण., जापान, इंडोनेशिया से किया गया था।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूसी के दायरे के संबंध में कोई भी अनुरोध घरेलू उद्योग के आवेदन के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त 15 दिनों की समय सीमा के भीतर नहीं दायर किया गया। तदनुसार, प्राधिकारी ने 30 अक्टूबर 2023 की सूचना संख्या-फा. सं. 6/23/2023-डीजीटीआर द्वारा पीयूसी के पूर्वोक्त दायरे की पुष्टि की।

8. तथापि, प्राधिकारी ने पीयूसी के दायरे के संबंध में तर्कों पर ध्यान दिया है और रिकार्ड में उपलब्ध संगत सूचना के आधार पर उसकी जांच की है।

9 प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी कथित आयातक या प्रयोक्ता या एसोसिएशन ने साक्ष्य सहित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु की गुणवत्ता में कमी संबंधी अपने दावे को सही सिद्ध नहीं किया है। इसके अलावा, पीयूसी के दायरे पर प्रश्न उठाने वाले किसी भी कथित आयातक / प्रयोक्त या एसोसिएशन ने उनके द्वारा किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों के साक्ष्य और संबद्ध वस्तु के आयातक / प्रयोक्ता के रूप में उनकी स्थिति के संबंध में प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। अलग-अलग कंपनियों के किसी आयातक या प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर के अभाव में प्राधिकारी इस सत्यापन में असमर्थ हैं कि क्या वे वास्तव में संबद्ध वस्तु के आयातक / प्रयोक्ता हैं और संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2018 की 11 के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर नहीं देने वाले आयातकों / प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध को कम महत्व दिया जाना चाहिए।

10. अपने सदस्यों की ओर से राजकोट मोबाइल कवर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में जो संबद्ध वस्तु कथित आयातक और प्रयोक्ता हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके किसी भी सदस्य ने स्पष्ट रूप से पहचान नहीं की है और सदस्यों ने आयातक या प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर भी नहीं दिया है। इस प्रकार प्राधिकारी भी संबद्ध वस्तु के आयातक / प्रयोक्ता की एक एसोसिएशन और एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में राजकोट मोबाइल कवर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का सत्यापन करने में असमर्थ हैं।

11. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना यह दर्शाती है कि भारत में प्रयोक्ता आवेदक से संबद्ध वस्तु खरीद रहे हैं। आवेदक ने यह भी बताया है कि

गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के लिए प्रयोक्ताओं को आवेदक द्वारा आपूर्ति की गई संबद्ध वस्तु को अस्वीकार करने की कोई घटना नहीं हुई है।

12. पीयूसी के जीआरएस ग्रेड से संबंधित अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते है:

i. ऐसे आयातक या प्रयोक्ता जिन्होंने यह दावा किया है कि वे जीआरएस प्रमाणन के साथ संबद्ध वस्तु का आयात करते हैं, ने आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है या यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जीआरएस एक अलग उत्पाद ग्रेड है जिसकी अलग तकनीकी और भौतिक विशेषताएं हैं।

ii. ऐसे आयातक या प्रयोक्ता जिन्होंने यह दावा किया है कि वे जीआरएस प्रमाणन के साथ संबद्ध वस्तु का आयात करते हैं, ने बाहर रखे जाने वाले ऐसे उत्पाद की तकनीकी विनिर्देशन नहीं दिए हैं। तकनीकी विनिर्देशनों के अभाव में उत्पाद को बाहर रखने के उनके दावे पर विचार करना संभव नहीं है।

iii. आयातकों और प्रयोक्ताओं से प्रश्नावली के उत्तर के अभाव में प्राधिकारी यह सत्यापित करने में असमर्थ हैं कि जीआरएस प्रमाणन सहित संबद्ध वस्तु का उनके द्वारा आयात नहीं किया गया है। इस प्रकार यह भी सत्यापित नहीं हो सकता है कि क्या जीआरएस प्रमाणन सहित संबद्ध वस्तु के प्रयोग संबंधी उनका दावा सही है या न हीं और क्या घरेलू बाजार में जीआरएस प्रमाण सहित संबद्ध वस्तु की कोई मांग है।

iv. प्राधिकारी इस दावे के सत्यापन में भी असमर्थ हैं कि जीआरएस प्रमाणन सहित आयातित संबद्ध वस्तु का उनके द्वारा निर्यात की गई वस्तु के उत्पादन में प्रयोग हुआ है।

v. पीयूसी के दायरे से किसी विशेष उत्पाद प्रकार को बाहर रखने पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब यह साबित होता है कि बाहर रखने की मांग किया गया उत्पादन तकनीकी रूप से अलग है, उसकी विशिष्ट अंतिम प्रयोग हैं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेडों के साथ प्रतिस्थापनीय नहीं हैं।

vi यह भी नोट करना संगत है कि घरेलू उद्योग द्वारा नहीं विनिर्मित उत्पाद प्रकार जैसे टीपीयू आधारित पोलीकैप्रोइलेक्ट्रान को स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि टीपीयू के सभी अन्य प्रकार उनके द्वारा उत्पादित होते हैं।

vii. अत: प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि जीआरएस ग्रेड को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं है।

13. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग उत्पादित संबद्ध वस्तु मोबाइल कवर के लिए उपयुक्त नहीं है कि प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं कि :

i. यह दावा करने वाले आयातक और प्रयोक्ता कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु मोबाइल कवर के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं करते हैं। अत: प्राधिकारी उनके द्वारा आयातित संबद्ध वस्तु और उनके दावे की सत्यता के ब्यौरे की जांच नहीं कर सकते हैं।

ii. आयातकों और प्रयोक्तओं ने अपने इस दावे को सही सिद्ध करने के लिए कोई सूचना भी नहीं दी है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित टीपीयू ग्रेड मोबाइल कवर उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है।

iii. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए भी सूचना दी है कि उनके द्वारा उत्पादित टीपीयू मोबाइल कवर के उत्पादन में प्रयुक्त हुआ है और मोबाइल कवर विनिर्माताओं द्वारा प्रयोग किया गया है। टीपीयू आदि के विशेष ग्रेड या तकनीकी विनिर्देशनों के ब्यौरे के संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है जो मोबाइल कवर के उत्पादन के लिए अपेक्षित है और जिसे घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित नहीं किया जा सकता है।

iv. यह भी नोट करना संगत है कि घरेलू उद्योग द्वारा नहीं विनिर्मित उत्पाद प्रकार जैसे टीपीयू आधारित पोलीकैप्रोइलेक्ट्रान को स्वयं घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के

दायरे से बाहर रखा गया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि टीपीयू के सभी अन्य प्रकार उनके द्वारा उत्पादित होते हैं।

v. अत: प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालता हैं कि मोबाइल कवर के लिए प्रयुक्त संबद्ध वस्तु को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं है।

14. पीयूसी रेजिन को स्पष्ट रूप से बाहर रखने क्योंकि संबद्ध वस्तु और पीयूसी रेजिन को समान एचएस कोड 39095000 के अंतर्गत आयातित किया जाता है, के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क पीयूसी के विवरण के आधार पर लगाया जाता है ओर एचएस कोड केवल सांकेतिक होते हैं। वर्तमान मामले में पीयूसी थर्मापॉलीयुरेथेन(टीपीयू) है। पीयू रेजिन पीयूसी का हिस्सा नहीं है और इसलिए पीयू रेजिन को पीयूसी के दायरे से बाहर रखने की कोई जरूरत नहीं है।

15. समान वस्तु के संबंध में नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

16. रिकार्ड में सूचना पर विचार करने के बाद प्राधिकारी प्रस्ताव करते हैं कि नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है और ये भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

17. इसके अलावा, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि पीयूसी वही है जैसा 30 अक्टूबर 2023 की सूचना द्वारा जांच शुरूआत अधिसूचना में नोट किया गया और निर्धारित किया गया। इसे यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है।

"3. ''विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन'' (''टीपीयू'') है। टीपीयू एक पिघलने की प्रक्रिया योग्य थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें प्लास्टिक और रबड़ के अद्‌वितीय गुण होते हैं, जिसमें लोच, पारदर्शिता और तेल, ग्रीज और घर्षण का प्रतिरोध शामिल है। टीपीयू थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें रैखिक खंडित ब्लॉक कॉपोलीमर होता है जो कठोर और नरम खंडों से बना होता है। विचाराधीन उत्पाद में टीपीयू जोकि पाउडर, ग्रैन्यूल्स, छरों, असंशोधित या रंगों, भराव या अन्य एडिटिव्यस द्‌वारा संशोधित रूप में हो सकता है, शामिल है।

4. टीपीयू एक अद्‌वितीय प्रकार का प्लास्टिक है जो रबड़ और प्लास्टिक के बीच की खाई को पाटता है। टीपीयू एक तरफ रबड़ और दूसरी तरफ थर्मोप्लास्टिक सामग्री को चिन्हित करने वाली कई शक्तियों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए टीपीयू को मान्यता और संपीड़ित भार के तहत विकृत किया जा सकता है। लेकिन बाद में अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। इसके अलावा, इसे गर्म होने पर खींचा जा सकता है, और जब गर्म भी किया जाता है, तो उन्हें बार-बार पिघलता और ढाला जा सकता है। टीपीयू की बहुमुखी प्रतिभा की कुंजी यह है कि इसकी कठोरता को अत्यधिक अनुकूलित किया जा सकता है। टीपीयू रबड़ की तरह नरम या कठोर प्लास्टिक की तरह कठोर हो सकता है। टीपीयू पकड़ प्रदान करने के लिए पारदर्शी या रंगीन या कठार या नरम / चिकना हो सकता है।

5. टीपीयू पॉलीओल्स (पॉलिएस्टर या पॉलीथर या पॉलीकेप्रोलैक्टोन आधारित या इनमें से एक संयोजन) डायसोसाइनेट्स और शार्ट-चेन डायोल्स की प्रतिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए इनमें एडिटिव्यस जोड़े जा सकते हैं। सभी तत्वों के संयोजन से कठोरता और यांत्रिक गुणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त की जा सकती है। विचाराधीन उत्पाद आवेदक द्‌वारा विभिन्न ग्रेड में पेश किया जाता है। हालांकि ये अलग-अलग ग्रेड केवल गुणों के संदर्भ में भिन्न हैं। जिन्हें प्रक्रिया मापदंडों पर नियंत्रण और विशिष्ट एडिटिव्स के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी ग्रेड एक वस्तु के रूप में समान रहते हैं।

6. उत्पादन के दायरे में पॉलिएस्टर आधारित टीपीयू के साथ-साथ पॉलीएथर आधारित टीपीयू शामिल हैं और पॉलीकैप्रोलैक्टोन आधारित टीपीयू को विशेष रूप से उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

7. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मोटर वाहन उपकरण पैनलों, कृषि (पशु आईडी टैग), कास्टर पहियों, बिजली उपकरण, खेल के सामान, चिकित्सा उपकरणों, ट्यूब व नली, बेल्ट और प्रोफाइल उद्योग, फुटवियर, इनफ्लेटेबल राफ्ट, एक्सट्रूडेड फिल्म, शीट और प्रोफाइल अनुप्रयोगों की विविधता, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बाहरी मामलों, लैपटॉप के लिए की-बोर्ड रक्षक आदि सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। टीपीयू, प्रीमियम मोटरसाइकिल के साथ-साथ यात्री कार बाजार के अंदरूनी हिस्से में रबड़ और पीवीसी (पोलीविनाइल क्लोराइड) का स्थान ले रहा है।

8. जांच अधीन उत्पाद का आयात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के कस्टम टैरिफ शीर्षक 39095000 के अंतर्गत किया जा रहा है। हालांकि, यह संभव है कि विषय वस्तुओं को अन्य शीर्षकों के तहत भी आयात किया जा सकता है और इसलिए, सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति</u>

घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

18. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. नियमावली का नियम 2(ख) यह प्रावधान करता है कि उत्पादक जो आयातक हैं या निर्यातक / आयातक से संबंधित है, घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखे जाएंगे।

ख. घरेलू उद्योग कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड की एक संबंधित कंपनी है और यह कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में संबंधित कंपनी का नाम नहीं बताया है।

ग. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार घरेलू उद्योग ने *** एमटी टीपीयू का आयात किया है जो पीओआई के दौरान कुल आयातों का 13 प्रतिशत हिस्सा है। घरेलू उद्योग ने पीओआई के बाद भी संबद्ध वस्तु का आयात जारी रखा है।

घ. व्यापार उपचार जांच के लिए प्रचालन प्रक्रिया नियम पुस्तिका के पैरा 4.9.20 (v) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तु के आयातों के मुद्दे के संबंध में जांच शुरूआत अधिसूचना में एक विशिष्ट संदर्भ देना होगा।

घ.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

19. घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए है:

क. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का क्षति अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और भारत में संबद्ध वस्तु का 100 प्रतिशत उत्पादन करता है।

ख. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. में और अन्य गैर संबद्ध देशों में अपनी संबंधित कंपनियों से थोड़ी मात्रा का आयात किया है। घरेलू उद्योग ने परीक्षण प्रयोजनों के लिए और कुछ तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिए चीन जन. गण. से पीयूसी का आयात किया है। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात (i) चीन जन. गण. से आयात (ii) या अन्य देशों से आयात या (iii) भारतीय मांग के संबंध 0-0.15 प्रतिशत की रेंज में है।

ग. प्राधिकारी निर्णय ले सकते हैं कि क्या कोई घरेलू उत्पादक विदेशी उत्पादक / निर्यातक या पाटित वस्तु के आयातक से संबंधित है या जो स्वयं वस्तु का आयात करता है उससे संबंधित है और नियम 2(ख) के अंतर्गत पात्र घरेलू उत्पादक है। यह निर्धारण स्वत: नहीं है और सभी संगत कानूनी और आर्थिक कारकों पर विचार करते हुए मामलावार आधार पर किया जाता है।

घ. अपने विवेकाधिकार के प्रयोग के समय प्राधिकारी द्वारा विचारित तथ्यों और परिस्थितियों को पहले प्राधिकारी द्वारा की गई अनेक जांचों में नोट किया गया है। प्राधिकारी ने लगतार संमुक्ति की है कि केवल संबद्ध देश में उत्पादक / निर्यातक के साथ घरेलू उत्पादक का संबंध ऐसे उत्पादक को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर नहीं करेगा।

ड. *चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और अमेरिका, के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडाएश* के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणाम दिनांक 17 फरवरी 2012 में प्राधिकारी ने संमुक्ति की थी कि किसी आयातक या निर्यातक के साथ घरेलू उत्पादक के संबंध में या ऐसी किसी उत्पादक द्वारा आयात का केवल तथ्य ऐसे उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर करने के लिए अपर्याप्त है। प्राधिकारी को अपना विवेक लागू करना आवश्यक है ताकि इस बात का वस्तुनिष्ठ निर्धारण हो कि क्या कोई घरेलू उत्पादक ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग माने जाने का पात्र या अपात्र समझा जाए। प्राधिकारी ने यह भी माना है कि वर्तमन एडी नियमावली निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे किसी घरेलू उत्पादक को घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर / के बाहर शामिल करने या हटाने के मामले में तथ्यों संबंधी निर्णय का विवेकाधिकार देना जारी रखता है।

च. *चीन जन. गण., ईयू, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और यूएसए, के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश* के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच निरमा लिमिटेड और सौकेम का यूएस में एक संबंधित उत्पादक / निर्यातक अर्थात सील्र्स वैली मिनरल्स था। प्राधिकारी ने इस पाटनरोधी जांच में यह संमुक्ति की थी कि घरेलू उत्पादक निरमा लिमिटेड और सौकेम के संबंधित विदेशी उत्पादक / निर्यातक द्वारा निर्यात भारत में कुल आयातों की तुलना में अधिक नहीं थे। संबंधित विदेशी उत्पादक / निर्यातक संबद्ध उत्पाद का एक प्रमुख निर्यातक नहीं था। घरेलू उत्पादकों निरमा लिमिटेड और सौकेम का मुख्य ध्यान प्राथमिक रूप से घरेलू उत्पाद पर था और न कि अपने संबंधित विदेशी उत्पादक / निर्यातक से आयातित वस्तु पर व्यापार पर । इस प्रकार निरमा लिमिटेड और सौकेम को नियमावली के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग माना गया था।

छ. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और इंडानेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 17 मई 2010 के अपने अंतिम जांच परिणाम में इन्हीं सिद्धांतों को बताया । इस मामले में घरेलू उद्योग अर्थात ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इंडोनेशिया और चीन जन. गण. में संबंधित कंपनियां बिरला जिन्गवे फिब्रिस कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. और पीटी इंडो भारत रेयान, इंडोनेशिया थीं, जो भारत में संबद्ध वस्तु का उत्पादन और निर्यात कर रही थीं। प्राधिकारी ने यह बताया कि चीन जन. गण. और इंडोनेशिया से भारत को संबंधित कंपनी द्वारा निर्यात कम और बिखरे हुए थे और भारत में अधिकांश पाटन चीन और इंडोनेशिया से अन्य उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा किया गया था। इसके अलावा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुख्य ध्यान उत्पादन पर था और वह अपनी संबंधित कंपनियों से आयातित वस्तु के व्यापार में शामिल नहीं थे। इस प्रकार ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पात्र घरेलू उद्योग माना गया था।

ज. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 30 सेंटीमीटर के अधिक के चौड़ाई के पीपी/एचडीपीई फैब्रिक्स की बुनाई के लिए 6 या उससे अधिक सेटल वाली सरकुलर बुनाई मशीनों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने यह अवलोकन भी किया कि केवल घरेलू उत्पादक और संबद्ध देश में उत्पादक / निर्यातक के बीच संबंध का तथ्य घरेलू उत्पादक को अपात्र घरेलू उद्योग मानने के लिए अपर्याप्त है।

झ. स्टेट आफ गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत सरकार, (2012) 286 ईएलटी 348 मामले में उच्च न्यायालय ने पाटित वस्तु के एक आयातक को नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर रखने के प्रश्न की जांच की। न्यायालय ने यह संमुक्ति की थी कि कंपनी के कुल उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत उसके द्वारा आयातित है और वह भी अनौपचारिक रूप से और उस समय के दौरान जब उत्पादन में बाधा आई थी, उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। यह मात्रा कुछ तथ्यों से समान निर्यातक देश से कुल आयात की काफी कम हिस्सा पाई गई थी। इस प्रकार संबंधित घरेलू उद्योग

को पात्र घरेलू उद्योग माना गया था और उसे नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर नहीं किया गया था।

ञ. चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और अमेरिका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने नोट किया कि डब्ल्यूटीओ करार या एडी नियमावली का यह इरादा नहीं है कि घरेलू उद्योग को ऐसी स्थिति में जहां किसी घरेलू उत्पादक द्वारा संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का थोड़ा सा आयात हुआ है, वहां परिभाषित करते समय कोई सख्त फार्मूला अपनाया जाए और उस उत्पादक को गलत माना जाए और घरेलू उद्योग की स्थिति के लिए अपात्र माना जाए। कभी-कभी व्यापार और व्यवसाय के संचालन में घरेलू उद्योगों द्वारा शोध प्रयोजनों से या बाजार में तत्काल मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन के पूरक रूप में या किसी अन्य न्यायोचित कारण से वस्तुओं का आयात करना आवश्यक हो जाता है।

ट. जब संबंधित विदेशी उत्पादक / निर्यातक द्वारा निर्यात और / या घरेलू उद्योग द्वारा आयात उचित कारणों से कम हों और संबद्ध वस्तु के उत्पादक के रूप में घरेलू उत्पादक का व्यवसाय संदिग्ध न हो तो इस आधार पर घरेलू उद्योग की परिभाषा से घरेलू उत्पादक को बाहर नहीं किया जा सकता कि घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के अनुसार विदेशी उत्पादक / निर्यातक और / या संबंधित उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित है।

ठ. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. और अन्य गैर संबद्ध देशों में अपनी संबंधित कंपनियों से थोड़ी मात्रा का आयात किया है। घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. से परीक्षण प्रयोजनों के लिए और कुछ तात्कालिक मांग को पूरा करने के लिए चीन जन. गण. से पीयूसी का आयात किया है। पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का आयात .*** एमटी के हैं जो (i) चीन जन. गण. से आयात (ii) सभी देशों से आयात और (iii) भारतीय मांग के संबंध 0-0.15 प्रतिशत की रेंज में है। इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा आयात मामूली हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि उसकी संबंधित कंपनी ने भारत में किसी अन्य कंपनी को आपूर्ति नहीं की है।

ड. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग ने *** एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है, परंतु अपने दावे को सही बताने के लिए समर्थक ब्यौरे या आयात आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए है। यह अस्पष्ट है कि झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने ऐसे गोपनीय निर्यातक या आयातक विशिष्ट आंकडे कैसे प्राप्त किए। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड का दावा वास्तव में गलत है और यह अनुरोध है कि प्राधिकारी डीजी सिस्टम से आधिकारिक आयात आंकड़ों के प्रयोग से इस दावे को सत्यापित करे।

ढ. घरेलू उद्योग ने कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड सहित संबद्ध देश और गैर संबद्ध देशों दोनों में अपनी संबंधित कंपनी से आयात के बारे में जानकारी दी है।

ण. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कोवेस्ट्रो (इंडिया) लिमिटेड के किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाले चीन जन. गण. में संबंधित पक्षकार ने कोई प्रबंधकीय पद नहीं है। इसके अलावा, चीन जन. गण. में संबंधित उत्पादक / निर्यातक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक आवेदक कंपनी में कोई प्रबंधकीय पद धारण नहीं करते हैं।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

''(ख) ''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

21. वर्तमान मामले में यह आवेदन कोवेस्ट्रो (इंडिया) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और आवेदक ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एक मात्र उत्पादक हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने भारत में किसी अन्य घरेलू उत्पादक की मौजूदगी का दावा नहीं किया है। इस प्रकार प्राधिकारी इस निष्कर्ष का प्रस्ताव करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है और उसका भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा बनता है।

22. यह नोट किया गया है कि आवेदक का संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का एक संबंधित उत्पादक है और वह भारत में पीयूसी किसी आयातक से संबंधित नहीं है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक ने आवेदन में स्वीकृति के अनुसार पीओआई के दौरान संबद्ध देश में अपने संबंधित उत्पादक से संबद्ध वस्तु का आयात किया है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने अपनी जांच शुरूआत अधिसूचना में निम्नानुसार नोट किया है।

.

> *''13. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है आवेदक ने दावा किया है कि यह भारत में विषय वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है जो भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत है और इसलिए वर्तमन आवेदन दायर करने के लिए आवश्यक आधार है।*
>
> *14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार इसने चीन जन. गण. में संबंधित उत्पादक / निर्यातक से विषयवस्तु को आयात किया है। इस तरह के आयात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी उचित जांच के बाद नोट करता है कि आवेदक नियम 2 (ख) के प्रावधानों के संदर्भ में पात्र घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियमों के नियम 5(3) के संदर्भ में मापदंडों को पूरा करता है।*

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी विदेशी उत्पादक / निर्यातक या आयातक के साथ घरेलू उत्पादक का संबंध या ऐसे घरेलू उत्पादक द्वारा आयात घरेलू उद्योग के दायरे से उस घरेलू उत्पादक को स्वत: बाहर नहीं कर देता है। नियम 2(ख) के अंतर्गत हो सकता है शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्राधिकारी के पास यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार है कि क्या संबद्ध देश में उत्पादक / निर्यातक से संबंधित या भारत में आयातक से संबंधित घरेलू उत्पादक या जिसने स्वयं संबद्ध वस्तु का आयात किया है, घरेलू उद्योग माने जाने का पात्र है अथवा नहीं। प्राधिकारी के लिए सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर

विचार करने के बाद अपने विवेक का प्रयोग अपेक्षित है ताकि इस बात का वस्तुनिष्ठ निर्धारण हो कि क्या संबंधित घरेलू उत्पादक को नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का पात्र या अपात्र माना जाए।

24. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और हांगकांग में उत्पादक / निर्यातक के साथ आवेदक के संबंध के बारे में और चीन जन. गण और हांगकांग में उसकी संबंधित कंपनियों को किए गए आयात के बारे में कुछ हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया है।

25. आयातों की जांच दर्शाती है कि आवेदक ने कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड से *** एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है जो पीओआई के दौरान चीन जन. गण. में उसके संबंधित उत्पादक / निर्यातक द्वारा उत्पादित टीपीयू का निर्यात करने वाला हांगकांग में संबंधित व्यापारी है तथा जो भारत में कुल मांग का 0.1 प्रतिशत और कुल आयात का 0-0.1 प्रतिशत है। इस प्रकार आवेदक द्वारा संबद्ध वस्तु के आयात इतने अधिक नहीं है कि वह आवेदक को घरेलू उद्योग मानने का अपात्र बना दें।

26. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दावे में आयातित उत्पाद का विवरण नहीं है और इसलिए वह घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के आयात के दावे को सही सिद्ध नहीं करता है। इसके अलावा, डीजी सिस्टम के आंकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री और अन्य गैर पीयूसी का चीन जन. गण. और हांगकांग में संबंधित कंपनी से आयात किया है।

27. प्राधिकारी चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों के साथ आवेदक के संबंध और चीन जन. गण. अपनी संबंधित कंपनियों से आवेदक द्वारा आयात के बारे में निम्नलिखित तथ्यों और परिस्थितियों को नोट करते हैं:

क. किसी भी विरोधी पक्षकार ने आयातों के तथ्य और विदेशी उत्पादक / निर्यातक से संबंध को छोड़कर कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं बताया है।

ख. चीन जन. गण. में कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की संबंधित कंपनियों ने कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को भारत में पीयूसी का केवल कम मात्रा में निर्यात किया है और भारत में किसी और कंपनी को निर्यात नहीं किया।

ग. पीओआई के दौरान कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की संबंधित कंपनियों द्वारा निर्यात चीन जन. गण. से भारत में कुल आयातों की तुलना में बहुत कम है। डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड की चीन जन. गण. में संबंधित कंपनियों द्वारा पीओआई के दौरान किए गए निर्यात मुख्यत: गैर पीयूसी और कच्ची सामग्रियां हैं।

घ. पीओआई के दौरान भारत में चीन जन. गण. में संबंधित कंपनी द्वारा निर्यातों की मात्रा इतनी अधिक नहीं है जिससे भारत में घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ड. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड अब भी भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन पर केंद्रित रहा है। चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों के साथ कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के संबंध ने भातर में पीयूसी के घरेलू उत्पादक के रूप में उसके व्यवहार और व्यवसाय को प्रभावित नहीं किया है।

च. कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख प्रबंध कार्मिक भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात करने वाले चीन जन. गण. में संबंधित पक्षकार में कोई प्रबंधक पद धारण नहीं करते हैं और चीन जन. गण. में संबंधित उत्पादक / निर्यातक के प्रमुख प्रबंध कार्मिक भी आवेदक कंपनी में कोई प्रबंधक पद धारण नहीं करते हैं।

28. अत: रिकार्ड पर दी गई सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक / याचिकाकर्ता कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग है और यह कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. <u>बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज़ चाइना कंपनी लिमिटेड (बीएपीएस):</u>

i. कंपनी ने मालिक / प्रमुख शेयरधारक सूची और अपने संबद्धों के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।

ii. कंपनी ने भारत को घरेलू और निर्यात बिक्रियों के लिए अपने विपणन / वितरण चैनल के ब्यौरों का प्रकटन नहीं किया है (एक्जिविट बी3।

iii. कंपनी ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए दावा किए गए समायोजनों के ब्यौरे नहीं बताए हैं।

iv. कंपनी ने एक्जिविट जी1 में विनिर्माण प्रक्रिया का प्रकटन नहीं किया है।

v. कंपनी ने कच्ची सामग्री के नाम नहीं बताए हैं।

ख. <u>बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड (बीएचकेएल):</u>

vi कंपनी ने मालिक / प्रमुख शेयरधारक सूची और अपने संबद्धों के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।

vii. कंपनी ने भारत को घरेलू और निर्यात बिक्रियों के लिए अपने विपणन / वितरण चैनल के ब्यौरों का प्रकटन नहीं किया है।

ग. <u>बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (बीआईएसएल):</u>

viii. कंपनी ने मालिक / प्रमुख शेयरधारक सूची और अपने संबद्धों के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।

ix. कंपनी ने एक्जिविट जी-1 में विनिर्माण प्र ि या का प्रकटन नहीं किया है।

x. कंपनी ने कच्ची सामग्री के नाम नहीं बताए हैं।

घ. <u>बीएएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कंपनी लिमिटेड (बीआईटीसी):</u>

xi. कंपनी ने मालिक / प्रमुख शेयरधारक सूची और अपने संबद्धों के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है।

ड. <u>बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड (बीआईएल):</u>

xii. उचित सूचीकरण के बिना परिशिष्ट 13 के गोपनीय होने का दावा किया गया है।

च. <u>झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड (हुआफोन):</u>

xiii. कंपनी ने मालिक / प्रमुख शेयरधारक सूची और अपने संबद्धों के बारे में जानकारी का प्रकटन नहीं किया है। (एक्जिविट ए-2) ।

xiv. कंपनी ने एक्जिविट जी-1 में विनिर्माण प्रक्रिया का प्रकटन नहीं किया है।

xv. कंपनी ने परिशिष्ट 2 में कच्ची सामग्री के नाम नहीं बताए हैं।

31. प्राधिकारी को बीएएसएफ ग्रुप और झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड को अत्यधिक गोपनीयता के दावों और उनके प्रश्नावली के उत्तर में दी गई अधूरी सूचना के कारण असहयोगी पक्षकार मानना चाहिए।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

32. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना के अगोपनीय अंश को विभिन्न पक्षकारों के बीच संचार हेतु ई-मेल के माध्यम से निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार को उपलब्ध रखा।

33. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार

से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

34. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई थी और तदनुसार, ध्यान दिया गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की दावों के पर्याप्तता के संबंध में विधिवत रूप से जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है। जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकार को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपीनय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यवसाय संबंधित सेवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

35. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. भारत सरकार दिनांक 6 मार्च 2024 की अधिसूचना द्वारा "पॉलीयूरेथेन्स" संबंधी अनिवार्य मानक प्रमाणन अपेक्षा को कार्यान्वित करने की अपेक्षा में है। यह 19 सितंबर, 2024 से लागू होगा । इससे एक गैर टैरिफ बाधा सृजित होगी और परिणामस्वरूप भारत में टीपीयू के आयात प्रभावित होंगे।

ख. वह आईएस 17397 (भाग 1): 2020/आईएसओ 16365-1:2014 संबद्ध वस्तु पर लागू है जिसके द्वारा संबद्ध वस्तु के सभी उत्पादकों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुपालन आकलन स्कीमों के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यह वास्तव में संबद्ध वस्तु की कीमतें बढ़ा देगा और इस प्रकार मांग - आपूर्ति में अंतर आ जाएगा, क्योंकि वह देशों के बीच व्यापार के मुख्य प्रवाह को प्रभावित करेगा।

च.2 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>

36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विविध मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और पाटनरोधी शुल्क दो अलग-अलग साधन हैं और इनके उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं। यदि कोई उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का पालन करता है और पाटित कीमतों पर भारत में आयात होता है तो ऐसे उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जा सकती है। यदि कोई उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुपालन में नहीं है तो ऐसे उत्पाद को उस उत्पाद को अपाटित कीमतों पर भारत में निर्यात किए जाने पर भी भारत में आयात नहीं किया जा सकता है।

ख. प्राधिकारी ने चीन जन. गण., जापान, कोरिया गणराज्य और यूक्रेन के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अलाय या गैर अलाय इस्पात के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक अप्रैल 2017 के अपने अंतिम जांच परिणाम में यह अवलोकन किया था कि यदि कोई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश मौजूद है तो भी उसका यह निष्कर्ष यह नहीं है कि कोई पाटन या घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती है।

ग. पीयूसी संबंधी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश आज की तारीख में लागू है। 13 सितंबर, 2021 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी होने के बाद उसे 12 मार्च 2022 को कार्यान्वित करना निर्धारित था। तथापि, कार्यान्वयन के समय को उसके कार्यान्वयन की निर्धारित तारीख के निकट आने पर कई बार बढ़ाया गया है।

आदेश सं.	**अधिसूचना की तारीख**	**लागू होने की विहित तारीख**
एस.ओ. 3931(ई) प्रमुख आदेश	13 सितंबर 2021	यह 180 दिनों के बाद अर्थात 12 मार्च 2022 को लागू होगा
एस.ओ. 1277(ई)	23 मार्च 2022	यह 19 सितंबर 2022 को लागू होगा
एस.ओ. 4141(ई)	2 सितंबर 2022	यह 19 मार्च 2023 को लागू होगा
एस.ओ. 1238(ई)	15 मार्च 2023	यह 19 मार्च 2024 को लागू होगा
एस.ओ. 1112(ई)	6 मार्च 2024	यह 19 सितंबर 2024 को लागू होगा

घ. 6 मार्च 2024 की हाल की अधिसूचना के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ाकर 19 सितंबर, 2024 तक कर दिया गया है। इस प्रकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की समय सीमा को बार बार बढ़ाया गया है और ऐसा नहीं माना जा सकता है कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को 19 सितंबर, 2024 को कार्यान्वित किया जाएगा।

ड. इस प्रकार से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की मौजूदगी अपरिणामी है और वर्तमान जांच में यह निर्णय लेते समय की क्या प्राधिकारी द्वारा भारत में पीयूसी के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए। प्राधिकारी के लिए कानूनी रूप से असंगत है।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

37. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश और नियमावली अलग-अलग प्रयोजनों के लिए दो अलग-अलग दस्तावेज हैं। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि भारत में आयातित उत्पाद विहित मानक और विनिर्देशन का हो। नियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया जाता है कि भारत में आयातित उत्पाद अपाटित कीमतों पर हो और उससे घरेलू उद्योग को क्षति न हो। यदि पीयूसी के आयात के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू होता है तो भी वह घरेलू उद्योग के भारत में पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के रूप में संरक्षण लेने के अधिकार को किसी भी तरह कम नहीं करेगा।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 सामान्य मूल्य

38. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो, अथवा*

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

39. सामान्य मूल्य के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन का एक्सेसन प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया है। झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड, चीन ने चीन जन. गण. द्वारा ईयू के द्वारा शुरू किए गए फास्टनर्स में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट में प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क) और 15(ख) के बीच संबंध पर भरोसा किया है, जो चीन जन. गण. को प्रोटोकोल अनुच्छेद 15 के समाप्त होने पर स्वत: रूप से बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए मजबूत औचित्य देता है।

ख. 11 दिसंबर, 2016 के बाद पाटनरोधी विनियम में चीन के निर्यातक उत्पादकों के लिए उसकी घरेलू कीमत और लागत से इतर किसी आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं हो सकता है।

ग. भारत के पास गैर बाजार अर्थव्यवस्था की पद्धति के प्रयोग से चीन जन. गण. से उत्पादों के लिए पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य परिकलित करने के लिए डब्ल्यूटीओ करार के अंतर्गत कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा की गई ऐसी

कोई कार्रवाई गेट के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार की अपेक्षाओं से असंगत होगी।

घ. प्राधिकारी इस बात पर विचार किए बिना क्या चीन जन. गण. को संधि के पक्षकारों, डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल की धारा 15 और चीन जन. गण. द्वारा शुरू की गई ईसी फास्टनर्स संबंधी अपीलीय निकाय की रिपोर्ट के सिद्धांत के कारण बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार दिया जाए, सामान्य मूल्य की गणना के लिए प्रतिनिधि देश की पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

ड. चीन जन. गण. को डब्ल्यूटीओ चीन के एक्सेसन प्रोटोकाल के एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ईसी - फास्टनर्स मामले में डब्ल्यूटीओ निकाय द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। यूएस और ईयू ने चीन जन. गण. के साथ अपने संबंधित द्विपक्षी करार में भी डब्ल्यूटीओ में चीन के प्रवेश के 15 वर्षों बाद गैर बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे की समाप्ति के बारे में नोट किया था।

छ.3 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

40. सामान्य मूल्य के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और चीन जन. गण. उत्पादकों / निर्यातकों के मामलें में सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8(2) और (3) के साथ पठित पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 के अनुसार यह माना गया है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर बाजार दशाओं में काम कर रहे हैं। अत: चीन जन. गण. ने संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध-i के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है।

ख. प्रोटोकोल के अनुबंध 15(घ), 15(क)(ii) के प्रावधान दिसंबर 2016 में अर्थात चीन जन. गण. के डब्ल्यूटीओ में प्रवेश के 15 साल के बाद समाप्त हो गए हैं। तथापि, अनुच्छे 15(क)(i), जो चीन जन. गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था मानने का

प्रावधान करता है। अब भी लागू है। अत: एक वैध मान्यता मौजूद है कि पाटनरोधी जांच के लिए चीन जन. गण. एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है।

ग. प्राधिकारी नोट कर सकते हैं किसी भी प्रतिवादी निर्यातक ने लागू प्रश्नावली का उत्तर देकर बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का दावा नहीं किया है और इस संदर्भ में सामान्य मूल्य का निर्धारण एडी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत करना काफी अनिवार्य है।

छ.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

41. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी और उन्हें प्राधिकारी विहित ढंग और तरीके से सूचना देने की सलाह दी। निम्नलिखित उत्पादकों / निर्यातकों ने प्रश्नावली का विहित उत्तर देकर जांच में सहयोग दिया है।

(i) बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज़ चाइना कंपनी लिमिटेड
(ii) बीएएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कंपनी लिमिटेड
(iii) बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड
(iv) बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड
(v) झेजियांग हुआफॉन टीपीयू कंपनी लिमिटेड
(vi) मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड

छ.4.1 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

चीनी के उत्पादकों के लिए बाजार अथव्यवस्था का व्यवहार

42. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख)एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग)आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार

प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ)आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

43. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में दिए गए प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि एक्सेसन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अधीन दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के दावे संबंधी पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के ज़रिए पूरा करना अपेक्षित है।

44. तदनुसार, चीन जन. गण. से सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

क) चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

45. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धाथ्रत किया गया है। नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 निम्नानुसार है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित,

सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी

विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जॉच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"

46. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम निर्धारित है और यह व्यवस्था है कि सामान्य मूल्य को बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा या ऐसे किसी तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत या जहां ऐसा संभव न हो समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त या देय कीमत जिसे यदि आवश्यक हो, तो तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित किया गया हो, सहित किसी तर्कसंगत आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य अनुबंध-I के पैरा 7 के अंतर्गत प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना अपेक्षित है।

47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की घरेलू कीमत, परिकलित मूल्य या निर्यात कीमत के संबंध में

कोई सूचना नहीं दी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्हें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना और रिकार्ड में साक्ष्य के आधार पर किसी उचित देश का चयन करना अपेक्षित है चूंकि न तो आवेदक और न ही अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई सत्यापन योग्य सूचना दी है। इसलिए इस आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

48. नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 की दी गई अन्य पद्धतियों के संबंध में रिकार्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने 'किसी अन्य तर्कसंगत आधार' संबंधी पद्धति पर विचार करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

49. अत: प्राधिकारी ने चीन के लिए सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन लागत को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ सहित विधिवत रूप से समायोजित कर उसके आधार पर परिकलित किया है। चीन के उत्पादकों / निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित परिकलित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.5 <u>निर्यात मूल्य</u>

छ.6 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

50. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निर्यात कीमत के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. यदि प्राधिकारी संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं तो प्राधिकारी को सहयोगी निर्यातकों / उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्क की अलग दर निर्धारित करनी चाहिए।

छ.7 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

51. निर्यात कीमत के निर्धारण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज़ चाइना कंपनी लिमिटेड (बीएपीएस) ने कंपनी की संबद्धताओं और संबंधित कार्यकलापों संबंधी अधूरी सूचना प्रदान की है।

ख. बीएपीएस ने कच्ची सामग्रियों / सुविधाओं के लिए सतत पक्षकारों से खरीद कीमत प्रदान नहीं की है।

ग. बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (बीआईएसएल) ने संबद्धताओं और संबंधित कार्यकलापों संबंधी अधूरी सूचना प्रदान की है।

घ. बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड (बीएचकेएल) ने कंपनी की संबद्धताओं और संबंधित कार्यकलापों संबंधी अधूरी सूचना प्रदान की है।

ड. बीएचकेएल एक व्यापारी होने के नाते प्रश्नावली के उत्तर का परिशिष्ट 5 देने में विफल रहा है।

च. बीएचकेएल ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए दावा किए समायोजनों के ब्यौरे हटा दिए हैं।

छ. बीएएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कं, (बीआईटीसी) लिमिटेड ने मालिक / मुख्य शेयरधारक सूची और अपनी संबद्धताओं संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।

ज. बीएएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कं, लिमिटेड ने कंपनी की संबद्धताओं और संबंधित कार्यकलापों संबंधी अधूरी सूचना प्रदान की है।

झ. बीएएसएफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग (शंघाई) कं, लिमिटेड एक व्यापारी होने के नाते प्रश्नावली के उत्तर का परिशिष्ट 5 देने में विफल रहा है।

ञ. बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड (बीआईएल) ने भारत में बिक्री के लिए वितरण चैनलों का अधूरा प्रकटन दिया है।

ट. बीआईएल ने व्यापार सूचना 06/2021 प्रपत्र का अनुपालन नहीं किया है।

ठ. बीआईएल डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत और कीमत पर शुल्क के प्रभाव का प्रकटन करने में विफल रहा है।

ड. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने कंपनी की संबद्धताओं संबंधी अधूरी सूचना दी है जिसमें शामिल है:

- मूल कंपनियों, अधीनस्थ और संबंधित कंपनियों तथा समकक्ष सूचना के ब्यौरे ।
- प्रत्येक संबंधित कंपनी के कार्यकलाप |
- पीयूसी या कच्ची सामग्री / सुविधाओं की आपूर्ति में शामिल संबंधित कंपनियों के ब्यौरे ।

ढ. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने पीयूसी के उत्पादन में शामिल संयंत्रों की संख्या के संबंध में विरोधाभासी जानकारी दी है। हुआफोन ने खंड जी के प्रश्न एक में एक संयंत्र का दावा किया है परंतु परिशिष्ट 7 में दो संयंत्र की मौजूदगी दर्शायी गई है।

ण. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने बताया कि सभी सामग्री खरीदी गई है परंतु परिशिष्ट 7 में आबद्ध इनपुट के प्रयोग को दर्शाया गया है।

त. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं के लिए स्वतंत्र पक्षकारों से खरीद कीमत प्रदान की है और अंतरण कीमत को उचित ठहराने के लिए साक्ष्य का अभाव है।

छ.8 प्राधिकारी द्वारा जांच

52. चीन जन. गण. से निम्नलिखित उत्पादकों और निर्यातकों ने भाग लिया है और प्रश्नावली का उत्तर दिया है। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और उत्पादक / निर्यातकों तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध अगोपनीय अंश में संबंधित पक्षकार की संबद्धता के गैर प्रकटन और चीन के उत्पादकों / निर्यातकों की उत्पादन लागत से संबंधित हैं। प्राधिकारी ने इन दावों की जांच की है और प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना की तर्ज पर चीन के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत अगोपनीय अंश को नोट करते हैं। भागीदार उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा दिए गए उत्तरों की निम्नानुसार विस्तार से आगे जांच की गई है।

i. <u>मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड</u>

53. मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड ("मिराकल") द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि मिराकल ने असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं को सीधे पीओआई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि मिराकल ने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। मिराकल ने समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय तथा ऋण लागत के समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उन पर विचार किया है। मिराकल के लिए यथा निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

ii. <u>बीएएसएफ ग्रुप- बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज़ चाइना कंपनी लिमिटेड (उत्पादक/निर्यातक), बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (संबंधित उत्पादक), बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड (संबंधित निर्यातक) और बीएएसएफ इंडिया लिमिटेड (संबंधित आयातक)</u>

54. बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड (बीएपीएस) ने अपने संबंधित निर्यातक बीएएसएफ हांगकांग लिमिटेड (बीएचकेएल) बीएएसएफ को पीओआई के दौरान *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उसने अपने संबंधित भारतीय उपभोक्ता इंडिया लिमिटेड (बीआईएल) को इसका निर्यात किया है। संबंधित भारतीय उपभोक्ता ने असंबंधित भारतीय उपभोक्ता को इसकी बिक्री की है। सभी तीन कंपनियां भारत को निर्यात बिक्री श्रृंखला अर्थात बीएपीएस, बीएचकेएल और बीआईएल में शामिल हैं और उन्होंने प्रश्नावली का पूरा उत्तर दिया है और जांच में सहयोग किया है। निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

55. यह नोट किया गया है कि बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड (बीआईएसएल) जो बीएपीएस का एक संबंधित उत्पादक है, ने पीओआई की समाप्ति के बाद संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू किया है।

iii. <u>झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड</u>

56. झेजियांगहु हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ("हुआफोन") द्वारा दायर उत्तर से प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुआफोन ने असंबंधित भारतीय उपभोक्ताओं को सीधे पीओआई के दौरान

भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि हुआफोन ने भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। हुआफोन ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़ा, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया है और प्राधिकारी ने उन पर विचार किया है। हुआफोन के लिए यथा निर्धारित कारखानाद्वार निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

<u>असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत</u>

57. चीन जन. गण. से सभी अन्य उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण सहयोगी निर्यातकों के लिए जांचे गए आंकड़ों पर विचार करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है और यह नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

<u>पाटन मार्जिन</u>

58. संबद्ध वस्तु के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक/ निर्यातक का नाम	सामान्य मूल्य (रू/केजी)	निवल निर्यात मूल्य (रू/केजी)	पाटन मार्जिन प्रति यूनिट (रू/केजी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (% रेंज)
मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक

झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	50-60%
अन्य सभी	***	***	***	***	80-90%

प्राधिकारी नोट करते हैं कि बीएएसएफ पॉलीयुरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड को छोड़कर चीन जन. गण. के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए महत्वपूर्ण डंपिंग मार्जिन मौजूद है।

ज. क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

59. क्षति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आयात आंकड़े गलत है । अत: मात्रात्मक प्रभाव और कीमत प्रभाव की जांच से सही तस्वीर का पता नहीं लग सकता है।

ख. चीन जन. गण. से आयातों के कारण क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। चीन जन. गण. से आयात मांग में वृद्धि के तालमेल चले हैं।

ग. घरेलू उद्योग की क्षमता *** एमटी है जबकि भारत में टीपीयू की मांग लगभग 20,000 एमटी है। घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु का एक मात्र उत्पादक होने के कारण भारतीय मांग के केवल 25-30 प्रतिशत को पूरा कर सकता है। आयात केवल भारत में संबद्ध वस्तु की मांग और आपूर्ति के अंतर को भरने के लिए आए हैं और घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हैं।

घ. कीमत कटौती 35-45 प्रतिशत है जिसका अर्थ है कि घरेलू उद्योग पहुंच मूल्य से लगभग 35-45 प्रतिशत अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेच रहा है। इसी प्रकार क्षति

मार्जिन 40-50 प्रतिशत है जो दर्शाता है कि क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) लगभग समान हैं। इस प्रकार घरेलू उद्योग पहले ही अपनी वस्तु को क्षतिरहित कीमत पर बेच रहा है।

ड. वर्ष 2020-21 के दौरान जब कीमत कटौती 45-55 प्रतिशत के रूप में अधिकतम थी। उस समय घरेलू उद्योग की लाभप्रदता अधिकतम थी जो कीमत कटौती के उच्च स्तरों और लाभप्रदता के बीच कोई सह संबंध नहीं दर्शाता है।

च. घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि और जांच अवधि में अपरिवर्तित रही है। घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में क्रमश: 7 प्रतिशत की कमी आई है।

छ. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में पीओआई के दौरान आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में 100 से 85 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में पीओआई के दौरान निर्यात बिक्रियों में 229 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि हुई है जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी पसंद से न कि अवसर मिलने पर घरेलू बिक्रियों के बजाय निर्यातों पर फोकस कर रहा है।

ज. मालसूची के रूझान गिरावट दर्शा रहे हैं जो स्पष्ट रूप से बताता है कि घरेलू उद्योग अपने संपूर्ण उत्पादन को बेचने में सक्षम था।

झ. पीबीडीआईपी और नकद लाभ में पीओआई के दौरान क्रमश: 10 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण चीन के उत्पादक अप्रचालित या कम प्रचालित थे और इसलिए वे वाणिज्यिक मात्राओं में वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सके थे जैसी सामान्य परिस्थितियों में आपूर्ति होती है। इससे उद्योग में प्रतिस्पर्धा का स्तर प्रभावित हुआ। अत: क्षति की जांच करते समय प्राधिकारी द्वारा इस स्थिति पर विचार नहीं किया जा सकता है।

ञ. आधार वर्ष 2019-20 के दौरान कर्मचारियों की संख्या में 100 से जांच अवधि के दौरान 101 की मामूली वृद्धि हुई है। तथापि, वेतन और मजदूरी में आधार वर्ष

2019-20 के दौरान 100 से जांच अवधि के दौरान 61 की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने जानबूझकर क्षति दिखाने के लिए आंकड़ों से छेड़छाड़ की है।

ट. प्रति दिन उत्पादकता और 2019-20 से जांच अवधि (पीओआई) में उत्पादन मात्रा दोनों में कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी अलग-अलग उत्पादकता में एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि के बावजूद 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह दर्शाता है कि समग्र उत्पादन में प्रचालनात्मक अक्षमताओं या अन्य चुनौतियों के कारण संभावित रूप से कमी आई है, ऐसा कर्मचारी निष्पादन के कारण नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति की अवधि में वेतन और मजदूरी में गिरावट चिंताजनक है और यह संगठन के भीतर मजदूरी नीतियों या वित्तीय बाधाओं संबंधी संभावित समस्याएं दर्शाता है।

ठ. घरेलू उद्योग ने कर्मचारियों उत्पादकता में स्थिरता और कर्मचारी संख्या में पूरी वृद्धि के बावजूद उत्पादन मात्रा और क्षमता उपयोग दोनों में 7 प्रतिशत गिरावट का सामना किया है। मालसूची के स्तरों में कारगर मांग प्रबंधन को दर्शाते हुए गिरावट देखी गई है। तथापि, महंगाई की अवधि में वेतन और मजदूरी में 39 प्रतिशत की नाटकीय गिरावट आंकड़ों में संभावित छेड़छाड़ को दर्शाती है। समग्र रूप से बताई गई वित्तीय क्षति संभवत: घरेलू उद्योग की वास्तविक स्थिति और निष्पादन को सही ढंग से नहीं दर्शाती हैं।

महानिदेशक को पाटन का कोई आरोप नहीं होने के समय उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई को तर्कसंगत लाभ मार्जिन के रूप में अपनाना चाहिए और न कि 22 प्रतिशत के आरओसीई को ।

ड. प्राधिकारी को अन्य ज्ञात कारकों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का समुचित आकलन करना चाहिए और उन्हें ऐसे अन्य कारकों के क्षतिकारी प्रभावों से पाटित आयतों के क्षतिकारी प्रभावों को अलग और पृथक करना चाहिए। ऐसे कारणों में आंतरिक समस्याएं, वैवश्कि मंदी की बाजार दशाएं, कच्ची सामग्री की कीमत उतार-चढ़ाव, कोविड-19 महामारी के प्रभाव, रूस - यूक्रेन युद्ध, संयंत्र का बंद होना आदि शामिल है।

ढ. घरेलू उद्योग को उसकी उच्च मूल्य ह्रास और वित्त लागत के कारण क्षति हुई है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

60. घरेलू उद्योग ने क्षति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग ने बाजार आसूचना के अनुसार उसके पास उपलब्ध आयात आंकड़ों के साथ याचिका दायर की है। प्राधिकारी ने संबद्ध जांच की शुरूआत के समय डीजीसीआई&एस से सौदावार आयात आंकड़ों पर पहले ही विचार किया है।

ख. प्राधिकारी मात्रा और कीमत प्रभाव के लिए डीजी सिस्टम और डीजीसीआई&एस से आयात आंकड़ों पर विचार कर सकते हैं। अपेक्षित सूचना प्राधिकारी को पहले ही दायर की गई है जिसमें चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण मात्रा और कीमत प्रभाव दर्शाए गए हैं।

ग. मांग - आपूर्ति में अंतर पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता निर्धारित करने हेतु संगत नहीं होता है। डीएसएम इडेमिट्सू लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीस्टेट ने अपीलकर्ता के इस दलील को अस्वीकार किया कि पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ईपीडीएम का एकमात्र विनिर्माता था और वह घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। अपीलकर्ता ने यह भी दलील थी कि आयात केवल मांग - आपूर्ति के अंतर को भर रहे हैं। सीस्टेट ने मांग - आपूर्ति के अंतर के संबंध में यह संमुक्ति की कि यदि निर्यातक भारतीय बाजार में जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तु की आपूर्ति करना चाहता है तो ऐसा सामान्य मूल्य के बराबर कीमत पर आवश्यकता का निर्यात करके किया जा सकता है, परंतु बाजार को कब्जाने के लिए पाटित मूल्य पर नहीं।

घ. प्राधिकारी ने निरंतर यह माना है कि मांग - आपूर्ति का अंतर पाटन को सही नहीं ठहराता है और यदि मांग - आपूर्ति में अंतर भी होता है तो यह आवश्यक है कि संबद्ध वस्तु उचित कीमत पर उपलब्ध हो।

ड. प्राधिकारी ने निम्नलिखित अंतिम जांच परिणाम में भी यह संमुक्ति की है कि मांग - आपूर्ति का अंतर पाटित आयातों के लिए वैध औचित्य नहीं हो सकता है:

i. यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 13 फरवरी, 2003

ii. चीन जन. गण. से एरोमेटिक या इटैरोसैकलिक यौगिकों के एसिटोएसीटाइल डेरीवेटिव जिन्हें एरीलाइट के रूप में भी जाना जाता है, के आयतों से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम 19 अगस्त 2021

iii. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सेल्फ अधेसिव विनाइल (एसएवी) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम 28 दिसंबर, 2023

iv. चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कास्मेटिक ग्रेड को छोड़कर प्राकृतिक माइका आधारित पर्ल औद्योगिक पिगमेंट के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम 8 जून, 2021

v. यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित स्टायरीन बुटाडनी रबड़ के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच - अंतिम जांच परिणाम 29 जुलाई, 2022

च. एनएसआर के साथ एनआईपी की तुलना के लिए नियमावली के अंतर्गत कोई कानूनी अधिदेश नहीं है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने चीन जन. गण., यूरोपीय संघ, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल अथवा वहां से निर्यातित सोडा एश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में दिनांक 17 फरवरी 2012 के अपने अंतिम जांच परिणाम में यह संमुक्ति की थी कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि प्राधिकारी को कीमत प्रभाव निर्धारित करने के लिए निवल बिक्री प्राप्ति के साथ क्षतिरहित कीमत की तुलना करना चाहिए।

छ. सीस्टेट ने ऑल इंडिया ग्लास मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में दिनांक 6 सितंबर, 2016 के अपने आदेश में यह संमुक्ति की थी कि प्राधिकारी के लिए कीमत प्रभाव के निर्धारण हेतु एनएसआर से एनआईपी की तुलना को अधिदेशित करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

ज. यदि एनएसआर, एनआईपी से अधिक की होती है तो यह बात इस निष्कर्ष में संगत नहीं है कि घरेलू उद्योग को प्रतिकूल कीमत प्रभाव या वास्तविक क्षति नहीं उठानी पड़ रही है।

झ. याचिका में और मौखिक सुनवाई के पश्चात प्रस्तुत लिखित अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए सूचना प्रस्तुत की है कि उसे वास्तविक क्षति हो रही है। प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य को नोट किया है।

ञ. नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय प्रदान करना प्राधिकारी की संगत प्रि या है। यह मुद्दा सीस्टेट के विभिन्न निर्णयों द्वारा निपटाया गया है। मेरिनो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53541/2015-सीयू[डीबी] दिनांक 27 नवंबर 2015 में सीस्टेट ने मानक प्रक्रिया के रूप में नियोजित पूंजी पर 22 प्रतिशत की आय दर की अनुमति दी थी। सीस्टेट ने एक्ज़िमकॉर्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी अंतिम आदेश संख्या एडी/ए/53462/2016-सीयू[डीबी] दिनांक 12 सितंबर 2016 में इसी सिद्धांत की पुन: पुष्टि की थी।

ट. हुआफोन ने ऐसा कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया है जिसने चीन जन. गण. से पाटित आयातों को छोड़कर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई हो। आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी पर संदेह करने के लिए केवल सामान्य संभावनाओं और भू-राजनैतिक घटनाओं की सूची देना पर्याप्त नहीं है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

61. अनुबंध-2 के साथ पठित नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में " *....पाटित आयातों की मात्रा ,समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए.. "...* ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से की कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।

62. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियों की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निबल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि जैसे सूचकों पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

63. प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है। क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत समझा गया कि जांच और समाधान नीचे किया गया है।

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदंड गिरावट दर्शाएं। कुछ मापदंड गिरावट दर्शा सकते हैं जब कि कुछ नहीं। प्राधिकारी सभी क्षति मापदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद निर्धारित करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है या क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर वस्तुनिष्ठ ढंग से विचार करते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की जांच की है।

ज.3.1 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) **मांग का आकलन**

65. प्राधिकारी ने भारत में मांग या उत्पाद की स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में निर्धारित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	68	85
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	5,056	7,795	9,773	13,780
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	193	273
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,356	2,566	2,738	1,265
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	189	202	93
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
कुल मांग	सूचीबद्ध	100	141	143	173

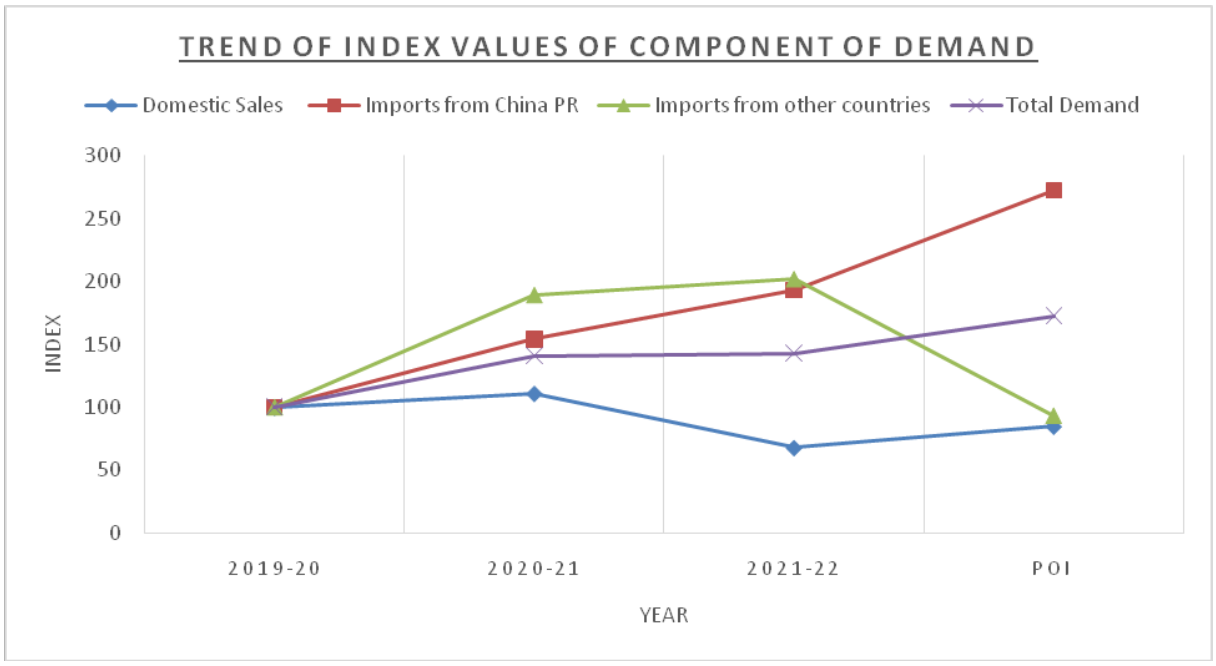

66. उक्त तालिका से प्राधिकारी द्वारा निम्निलिखित बिंदु देखे गए हैं:

- क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में लगातार वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु की मांग में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 73 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश से आयात में 173 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और गैर संबद्ध देशों से आयात में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में 15 प्रतिशत की कमी आई है।
- संबद्ध देश से आयातों ने मांग में वृद्धि पर कब्जा कर लिया है।

ख) संबद्ध देश की आयात मात्रा और हिस्सा

67. संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा और अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच प्राधिकारी ने निम्नानुसार की है।

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1.	चीन जन. गण. से आयात	एमटी	5,056	7,795	9,773	13,780
		सूचीबद्ध	100	154	193	273
2.	कुल आयात	एमटी	6,412	10,361	12,511	15,045
		सूचीबद्ध	100	162	195	235
3.	भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	102	89	93
4.	मांग	एमटी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	141	143	173
5.	निम्न के संबंध में संबद्ध देश से आयात					
क	कुल आयात	%	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	95	99	116
ख	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	151	218	292

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
ग	मांग	%	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	110	135	158

68. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

क. संबद्ध देश से आयातों में समग्र रूप से 2019-20 में 5,056 एमटी से 13,780 एमटी की वृद्धि हुई है। सूचीबद्ध रूप से संबद्ध देश के आयातों में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 173 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ख. भारतीय उत्पादन स्थिर रहा है और पीओआई में उसमें थोड़ी कमी आई है जबकि 2019-20 की तुलना में पीओआई में भारतीय मांग में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ग. कुल आयातों के संबंध में संबद्ध देश से आयात 2019-20 की तुलना में पीओआई में 16 प्रतिशत बढ़े हैं।

घ. भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश के आयातों में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 192 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ड. मांग के संबंध में संबद्ध देश से आयात में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

69. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों में ह्रास करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो सामान्य प्रक्रिया में बढ़ गई होती है।

70. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत कटौती और कीमत ह्रास / न्यूनीकरण के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की बिक्री

लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

क) कीमत कटौती

71. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत के साथ क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना द्वारा कीमत कटौती ज्ञात की गई है।

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
पहुंच कीमत	रू/केजी	189	181	279	262
	सूचीबद्ध	100	96	147	138
निवल बिक्री प्राप्त	रू/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	116	150	151
कीमत कटौती	रू/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	202	163	207
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
	रेंज	20-30%	45-55%	35-45%	45-55%

72. यह देखा गया है कि संबद्ध देश से पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है और इस प्रकार घरेलू कीमतों में कटौती हुई है।

ख) कीमत ह्रास / न्यूनीकरण

73. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव घरेलू कीमतों में काफी अधिक न्यूनीकरण

करना है या घरेलू कीमतों में ऐसी वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी अधिक बढ़ गई होती, प्राधिकारी क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं।

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
बिक्रियों की लागत	रू/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	108	148	154
निवल बिक्री प्राप्त	रू/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	116	150	151
पहुंच कीमत	रू/केजी	189	181	279	262
	सूचीबद्ध	100	96	147	138

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है। इससे घरेलू उद्योग पर अत्यधिक कीमत ह्रासकारी / न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।

75. बिक्री लागत में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदु से पीओआई में 154 सूचकांक बिंदु की वृद्धि हुई है और निवल बिक्री प्राप्ति में 2019-20 में 100 सूचकांक से पीओआई में 151 सूचकांक बिंदु की वृद्धि हुई है जबकि पहुंच कीमत में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 38 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि चीन जन. गण. से आयात कीमतें घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री लागत में वृद्धि को पूर्णत: वसूलने से रोक रहे हैं।

ज.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

76. नियमावली के अनुबंध-।। में यह निर्धारित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । नियमों में आगे यह उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की

स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा । तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

77. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पाद (पीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	102	89	93
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	102	89	93
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	111	68	85

78. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं कि:

क. उत्पादन और क्षमता उपयोग दोनों में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 93 सूचकांक बिंदुओं की कमी आई है। जबकि इसी अवधि में मांग में भारी वृद्धि हुई है।

ख. घरेलू बिक्रियों में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 85 सूचकांक बिंदुओं की कमी आई है जबकि इसी अवधि में मांग में भारी वृद्धि हुई है।

ग. पीओआई के दौरान *** का क्षमता उपयोग इस तथ्य पर विचार करते हुए कम है कि भारत में मांग में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग ने 2019-20 और 2020-21 में उच्चतर क्षमता उपयोग हासिल किया है। घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि वह चीन जन. गण. से पाटित आयातों की मौजूदगी नहीं होने पर 100 प्रतिशत का क्षमता उपयोग प्राप्त कर सकता है।

ख) बाजार हिस्सा

79. क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्से के संबंध में सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	5,056	7,795	9,773	13,780
	सूचीबद्ध	100	154	193	273
अन्य देशों से आयात	एमटी	1,356	2,566	2,738	1,265
	सूचीबद्ध	100	189	202	93
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	111	68	85
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	141	143	173
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	79	48	49
चीन जन. गण. से आयात का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	110	135	158

80. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं कि:

क. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 85 बिंदुओं की कमी आई है।

ख. संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 158 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 49 सूचकांक बिंदुओं की भारी गिरावट आई है।

घ. 2019-20 की तुलना में पीओआई में पीयूसी की मांग में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 51 प्रतिशत की कमी हुई है और संबद्ध देश से आयातों के बाजार हिस्से में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ड. क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में समस्त वृद्धि पर चीन जन. गण. से आयातों ने कब्जा कर लिया है।

च. अन्य देशों से आयातों में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 7 प्रतिशत की कमी आई है और इस हिस्से पर भी चीन जन. गण. से आयातों ने कब्जा कर लिया है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेशों पर आय

81. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
कर पूर्व लाभ	रू/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	248	193	102

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
	रू लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	275	132	86
ब्याज और कर से पूर्व लाभ	रू/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	236	180	107
	रू लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	261	123	90
नकद लाभ	रू/केजी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	189	175	135
	रू लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	210	120	114
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	145	95	79
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	70	68	80

82. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं कि:

क. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय दोनों में 2020-21 में वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग को भारत सरकार से बड़ा ऑर्डर मिला था और उसके बाद उसमें 2019-20 तथा 2020-21 की तुलना में निरंतर गिरावट आई है।

ख. कर पूर्व लाभ 2019-20 की तुलना में पीओआई में 14 प्रतिशत कट गए हैं।

ग. ब्याज और कर पूर्व लाभ में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है।

घ. नियोजित पूंजी पर आय में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

घ) मालसूची

83. क्षति अवधि में मालसूची संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
औसत	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	70	68	80

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची में 2021-22 तक गिरावट आई है और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में इसमें पुन: वृद्धि हुई है।

ड.) उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

85. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**
1	उत्पादकता प्रति दिन	एमटी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	102	89	93
2	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	101	89	92
3	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
		सूचीबद्ध	100	101	100	101

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है।

च) वृद्धि

87. क्षति अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	%	0%	0%	0%
उत्पादन	%	2%	-13%	5%
क्षमता उपयोग	%	2%	-13%	5%
घरेलू बिक्रियां	%	11%	-38%	24%
पीबीटी (प्रति केजी)	%	148%	-22%	-47%
नकद लाभ (प्रति केजी)	%	89%	-7%	-23%
आरओआई	%	45%	-35%	-16%

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने लाभ, नकद लाभ और आरओआई के अनुसार वर्ष दर वर्ष नकारात्मक वृद्धि का सामना किया है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

89. संबद्ध देश से आयात कीमत, लागत संरचना में बदलाव, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों से इतर कारकों की जांच, जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हों, आदि से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। इस प्रकार उससे कीमत कटौती

और कीमत ह्रास या न्यूनीकरण हो रहा है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि हुई है और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

90. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर घरेलू उद्योग ने संबंधित प्राधिकारियों को क्षमता में *** एमटी की वृद्धि करने के लिए अनुरोध / आवेदन भी किया है। इसका अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। तथापि, यदि पाटन इस तीव्र गति से जारी रहता है तो घरेलू उद्योग के लिए क्षमता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं होगा।

झ) पाटन मार्जिन की मात्रा

91. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है।

ज.4 वास्तविक क्षति का खतरा

ज.4.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

92. क्षति के खतरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ज.4.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

93. घरेलू उद्योग ने क्षति के खतरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. पाटित आयातों में 2019-20 में 5159 एमटी से पीओआई में 13097 एमटी की भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, पीओआई के बाद की अवधि में भी चीन जन. गण. से आयातों में वृद्धि हुई है जो नीचे तालिका से देखा जा सकता है।

आयात	यूनिट	अप्रैल'23-जून'23	जुलाई'23 -सितम्बर'23	अक्टूबर 23-दिसंबर 23
चीन जन. गण.	एमटी	3,314	2,486	3,988

ख. घरेलू उद्योग ने बताया है कि अक्टूबर 23 - दिसंबर 23 की तिमाही के दौरान चीन जन. गण. से आयात 3988 एमटी के हुए थे जबकि 2019-20 के दौरान पूरे वर्ष में आयात 5159 एमटी थे। यह देखा जा सकता है कि यह वृद्धि काफी अधिक है, क्योंकि पहले पूरे वर्ष के दौरान आयातों की मात्रा अब केवल एक तिमाही में आयातित की जा रही है।

ग. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में पीओआई के बाद की अवधि के दौरान भारी गिरावट आई है जैसा नीचे तालिका से देखा जा सकता है।

आयात	यूनिट	2021-22	पीओआई	अप्रैल'23-जून'23	जुलाई'23 - सितम्बर'23	अक्टूबर 23-दिसंबर 23
चीन (सीआईएफ कीमत)	रूपय/ केजी	257	243	190	187	161

घ. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत में पीओआई के दौरान 243 रूपए/ किलोग्राम की तुलना में अप्रैल - जून 2023 के दौरान 190 रूपए /किलोग्राम जुलाई - सितंबर, 2023 के दौरान 187 रूपए /किलोग्राम और अक्टूबर - दिसंबर,

2023 161 रूपए / किलोग्राम की अतिरिक्त गिरावट आई है। इस प्रकार, पीओआई की बाद की अवधि में कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और न्यूनीकरण में और वृद्धि हो गई है और यह घरेलू उद्योग को आगे और क्षति का खतरा उत्पन्न करती है।

ड. घरेलू उद्योग की बाजार आसूचना के अनुसार चीन जन. गण. में टीपीयू के लिए भारी क्षमता वृद्धि की गई है। यह तथ्य चीन जन. गण. से कुछ भागीदार उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर से भी समर्थित हो सकता है।

च. मिराकल की क्षमता 2019-20 में 100 सूचकांक बिंदुओं से बढ़कर पीओआई में 149 सूचकांक बिंदु हो गई है। इस प्रकार मिराकल द्वारा 50 प्रतिशत की भारी क्षमता वृद्धि हुई है।

छ. इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि मिराकल की भारत को निर्यात बिक्रियां 2019-20 में 100 सूचकांक से काफी बढ़कर पीओआई में 262 सूचकांक बिंदु हो गई है। तथापि, उनकी घरेलू बिक्रियों में केवल 2019-20 में सिर्फ 100 सूचकांक बिंदु से पीओआई में 116 सूचकांक बिंदु की वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि चीन जन. गण. में घरेलू मांग उसी गति से नहीं बढ़ रही है जैसे मिराकल द्वारा क्षमता वृद्धि की गई है और इस बात की संभावना है कि यदि पाटनरोधी उपाय मौजूद नहीं होते हैं तो भारत को निर्यात में और अधिक वृद्धि होगी।

ज. इसी प्रकार इसके अलावा, यह देखा जा सकता है कि हुआफोन की भारत को निर्यात बिक्रियां 2019-20 में 100 सूचकांक से काफी बढ़कर पीओआई में 226 सूचकांक बिंदु हो गई है। तथापि, उनकी घरेलू बिक्रियों में केवल 2019-20 में केवल 100 सूचकांक बिंदु से पीओआई में 143 सूचकांक बिंदु की वृद्धि हुई है।

झ. सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचना के अनुसार यह देखा गया है कि हुआफोन की क्षमता 80,000 एमटी है जो संबद्ध वस्तु की भारतीय मांग के चार गुना से अधिक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस बात की संभावना है कि यदि पाटनरोधी उपाय लागू नहीं किए जाते तो भारत को निर्यातों में और अधिक वृद्धि होगी।

ज.4.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

94. नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (vii) में निम्नानुसार प्रावधान है:

(vii) वास्तविक क्षति की आशंका का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा और न कि आरोप, निराधार कल्पना या सुदूर संभावना पर। परिस्थितियों में परिवर्तन जिनसे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिनमें पाटन से क्षति होगी, स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए और असन्नवर्ती होने चाहिए। वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों पर विचार करेंगे और;

(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अधिक दर जिससे आयातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

(ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना है तथा

(घ) उस वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही हो।"

95. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वास्तविक क्षति के खतरे के आकलन के लिए प्राधिकारी ऐसे कारकों पर विचार कर सकते हैं जैसे भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की दर, संबद्ध देश में निपटान योग्य क्षमता, संबद्ध देश में क्षमता में वृद्धि, संबद्ध देश से आयात कीमतों की प्रवृत्ति, संबद्ध देश में उत्पादकों / निर्यातकों के पास पीयूसी की मालसूची । प्राधिकारी नोट करते हैं कि वे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे के आकलन के लिए उक्त कारकों के अलावा किसी अन्य कारक की भी जांच कर सकते हैं।

क) भारत में आयातों की वृद्धि की अत्यधिक दर जो पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना दर्शाती हो

96. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से आयातों में 5,056 एमटी पीओआई में 13,780 एमटी की भारी वृद्धि हुई है।

आयात	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
चीन जन. गण.	एमटी	5,056	7,795	9,773	13,780
	सूचीबद्ध	100	154	193	273
मांग	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	141	143	173

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयातों में लगातार वृद्धि हुई है। चीन जन. गण. से आयातों में 2019-20 की तुलना में पीओआई में 2.5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी की जांच केवल पीओआई तक सीमित है।

98. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आयातों में वृद्धि की दर क्षति जांच अवधि के दौरान मांग में वृद्धि की दर से काफी अधिक है।

ख) निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य, या आसन्नवर्ती, पर्याप्त वृद्धि जिनसे किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता हो।

99. चीन जन. गण. से उत्पादकों / निर्यातकों की क्षमता में चीन जन. गण. में घरेलू मांग से काफी अधिक है।

100. सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों की क्षमता, क्षमता उपयोग और भारत को निर्यात बिक्रियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	यूनिट	2020	2021	2022	पीओआई
मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड					
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	137	149	149
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	80	81
भारत को निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	178	231	261
झेजियांगहु हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड					
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	148	179	184
भारत को निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	70	195	226
बीएएसएफ					
क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	106	89	88
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***

विवरण	यूनिट	2020	2021	2022	पीओआई
	सूचीबद्ध	100	124	111	101
भारत को निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	209	167	170

101. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मिराकल की क्षमता में 2020 में 100 सूचकांक बिंदुओं में पीओआई में 149 सूचकांक बिंदुओं की वृद्धि हुई है।

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. में उत्पादकों / निर्यातकों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है जिसका उपयोग भारत को निर्यात में वृद्धि के लिए किया जा सकता है।

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुआफोन की भारत की निर्यात बिक्रियों में 2020 में 100 सूचकांक बिंदुओं से पीओआई में 226 सूचकांक बिंदुओं की भारी वृद्धि हुई है।

104. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन जन. गण. में एक भागीदार उत्पादक हुआफोन की संबद्ध वस्तु की कुल क्षमता और मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता संबद्ध वस्तु की कुल भारतीय मांग से काफी अधिक है।

105. चीन जन. गण. से सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों की क्षमता, क्षमता उपयोग और निर्यात बिक्रियां यह दर्शाती हैं कि चीन जन. गण. से उत्पादकों / निर्यातकों ने संबद्ध वस्तु की उत्पादन की अपनी क्षमता में वृद्धि की है और / या उनके पास संबद्ध वस्तु की मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता है और / या उन्होंने क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को अपने निर्यात बिक्री वृद्धि की है।

106. इस प्रकार प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि निर्यातकों के पास पर्याप्त मुख्य रूप से निपटान योग्य या एक आसन्न पर्याप्त क्षमता में वृद्धि है, जो भारतीय बाजारों में पाटित आयातों में भारी वृद्धि की संभावना दर्शाती है।

ग) क्या आयात ऐसी कीमतों पर हो रहे हैं, जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी हासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और इनसे अधिक आयातों की मांग बढ़ने की संभावना है

107. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश की आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है। यह घरेलू उद्योग के लिए काफी अधिक कीमत ह्रासकारी और न्यूनकारी कीमत प्रभाव उत्पन्न कर रही है।

108. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार संबद्ध देश के आयातों की पहुंच कीमत में पीओआई के बाद की अवधि के दौरान अत्यधिक गिरावट आई है जिसके कारण और अधिक कीमत ह्रास / न्यूनीकरण हुआ है।

ज.5 कारणात्मक संबंध - गैर-आरोपण विश्लेषण

ज.5.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

109. कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. घरेलू उद्योग द्वारा कुल क्षमता का अकुशल प्रयोग किया गया है।

ख. अनेक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से घरेलू उद्योग का प्रभाव पड़ा है जो चीन जन. गण. के आयातों से अलग हैं। ऐसे कारणों में आंतरिक समस्याएं वैवश्कि रूप से मंदी की बाजार दशाएं, कंपनी के उत्पादों की कम मांग और कोविड-19 महामारी का प्रभाव आदि शामिल हैं।

ज.5.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

110. घरेलू उद्योग ने कारणात्मक संबंध के बारे में निम्निलिखत अनुरोध किए हैं:

क. संबद्ध देशों से आयात भारत में कुल आयातों का अधिकांश हिस्सा हैं। संबद्ध देश से आयात को छोड़कर अन्य देशों से आयात या तो काफी कम मात्रा हैं और / या उच्चतर कीमत पर हैं। अत: अन्य देशों से आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते हैं।

ख. हितबद्ध पक्षकारों ने संबद्ध देश से आने वाले पाटित आयातों के अलावा घरेलू उद्योग को क्षति के किसी अन्य कारण की पहचान नहीं की है।

ज.5.3 गैर-आरोपण विश्लेषण

111. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों से इतर किसी ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जिससे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो ताकि इन अन्य कारकों की वजह से कोई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार न ठहराया जा सके। इस संबंध में, संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमत पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवृत्ति में प्रवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जांच की गई हैं कि क्या पाटित आयातों से इतर कारकों की वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

112. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा अधिक नहीं है। इसके अलावा, गैर संबद्ध देशों से पीयूसी के आयातों की कीमत संबद्ध देश की कीमत की तुलना में काफी अधिक है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई

आयात कीमत (सीआईएफ) चीन जन. गण.	रू/केजी	175	167	258	242
अन्य देशों से आयात कीमत (सीआईएफ)	रू/केजी	263	229	303	453

ख) मांग में संकुचन

113. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की मांग में निरंतर वृद्धि होती रही है।

ग) निर्यात निष्पादन और आबद्ध खपत

114. प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। जहां जांच की गई क्षति संबंधी सूचना घरेलू बाजार के अनुसार केवल घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

घ) प्रौद्योगिकी का विकास

115. प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ड.) कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

116. घरेलू उद्योग ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ केवल पीयूसी से संबंधित सूचना पर विचार किया है।

च) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

117. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति का कारण माना जा सकता हो।

छ) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

118. भारत में खपत की प्रवृत्ति में पीयूसी के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ज.6 क्षति मार्जिन की मात्रा

119. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की पीओआई के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त विधिवत रूप से सत्यापित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारण के लिए कच्ची सामग्री और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन लागत से असाधारण या गैर आवर्ती व्ययों को अलग रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्ति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर नियमावली के अनुबंध-III में यथा विहित एनआईपी ज्ञात करने के लिए एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) के कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी।

120. ऊपर यथा निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन

उत्पादक/निर्यातक का नाम	**एनआईपी (रू/केजी)**	**पहुंच मूल्य (रू/केजी)**	**क्षति मार्जिन (रू/केजी)**	**क्षति मार्जिन (%)**	**क्षति मार्जिन (% रेंज)**
मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40%
बीएएसएफ पॉलीयूरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50%
अन्य सभी	***	***	***	***	60-70%

झ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

झ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

121. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. पाटनरोधी शुल्क लागू होने से उनकी लागत बढ़ जाएगी और एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी।

ख. आवेदक घरेलू उद्योग की मांग के अनुसार उच्च पाटनरोधी शुल्क लगाने से चीन जन. गण. से सभी आयात अवरुद्ध हो जाएंगे और वे जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों जैसे अन्य देशों की ओर चले जाएंगे।

ग. घरेलू उद्योग की क्षमता *** एमटी है जबकि भारत में टीपीयू की मांग लगभग 20,000 एमटी है। घरेलू उद्योग भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक होने के कारण अकेले भारतीय मांग का केवल 25-30 प्रतिशत पूरा कर सकता है। आयात केवल भारत में संबद्ध वस्तु की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए आए हैं और घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं है।

झ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

122. घरेलू उद्योग ने जनहित के मुद्दों के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. भारत में बीएएसएफ इंडिया को छोड़कर किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने आयातक / प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और / या आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर देकर उन पर पाटनरोधी शुल्क के मात्रात्मक प्रभाव का ब्यौरा नहीं दिया है। यह स्वयं दर्शाता है कि पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क से उनके व्यवसाय पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है।

ख. घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए गणना प्रदान की है कि विभिन्न प्रयोक्ता उद्योगों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रभाव मामूली होगा।

ग. पाटनरोधी शुल्क से एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क भारत में आयातों को प्रतिबंधित नहीं करेगी। पाटनरोधी शुल्क यह सुनिश्चित करेगा कि भारत में आयात उचित कीमत पर हों और घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर दें।

घ. मांग - आपूर्ति में अंतर पाटनरोधी शुल्क लगाने की आवश्यकता निर्धारित करने हेतु संगत नहीं होता है। डीएसएम इडेमिट्सू लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीस्टेट ने अपीलकर्ता के इस दलील को अस्वीकार किया कि पाटनरोधी शुल्क की

सिफारिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ईपीडीएम का एकमात्र विनिर्माता था और वह घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता था। अपीलकर्ता ने यह भी दलील दी कि आयात केवल मांग - आपूर्ति के अंतर को भर रहे हैं। सीस्टेट ने मांग - आपूर्ति के अंतर के संबंध में यह संमुक्ति की कि यदि निर्यातक भारतीय बाजार में जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तु की आपूर्ति करना चाहता है तो ऐसा सामान्य मूल्य के बराबर कीमत पर आवश्यकता का निर्यात करके किया जा सकता है, परंतु बाजार को कब्जाने के लिए पाटित मूल्य पर नहीं।

ड. प्राधिकारी ने निरंतर यह माना है कि मांग - आपूर्ति का अंतर पाटन के लिए आधार नहीं है, चाहें मांग - आपूर्ति में हो। यह आवश्यक है कि संबद्ध वस्तु उचित कीमत पर उपलब्ध हो।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

123. प्राधिकारी ने आयातकों, प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से संबद्ध पाटनरोधी जांच के संबंध में विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने आयातकों / प्रयोक्ताओं के प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना देने के लिए आयातकों / प्रयोक्ताओं हेतु एक प्रश्नावली भी विहित की है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तित उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता सोच बदलने की उपभोक्ता की क्षमता प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव आदि संबंधी जानकारी मांगी थी। तथापि, किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने प्राधिकारी के अनुरोध के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक क्षति जांच अवधि के दौरान भारत में पीयूसी का एकमात्र उत्पादक है। यह देश के बृहत्तर आर्थिक हित में है कि पीयूसी के उत्पादन के लिए भारत में निवेश करने वाले एकमात्र घरेलू उत्पादक को भारतीय प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए प्रचालन में जारी रहना चाहिए। पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के एकाधिकार हो जाने के दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह दर्शाने का कोई

साक्ष्य रिकार्ड में नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में एकाधिकार सृजित हो जाएगा। ऐसी अनेक जांचें हैं जहां पाटनरोधी शुल्क लगाया गया। यद्यपि देश में एकमात्र उत्पादक और भारत से बाहर आपूर्ति करने वाला एकमात्र देश रहा था।

125. इस दावे के संबंध में कि भारत में मांग - आपूर्ति में अंतर है और आयात आवश्यक हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग - आपूर्ति में अंतर की मौजूदगी भारत में उत्पाद के पाटन के लिए न्यायपूर्ण आधार नहीं हो सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यदि देश में मांग - आपूर्ति में अंतर है, तो विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद लागत देश में निश्चित रूप से इस अंतर को भर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्यत: अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा होने वाली व्यापार विकृत की समस्या का समाधान करना है ताकि खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके। पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमत पर बाजार में प्रवेश करें। इस प्रकार प्रयोक्ताओं के पास व्यापक विकल्प और उचित कीमत पर संबद्ध वस्तु के आयात की स्वतंत्रता होना जारी रहेगा जो बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा।

126. मांग - आपूर्ति के अंतर के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आवेदक के पास भारत में उत्पाद के लिए उपलब्ध क्षमता पीओआई के दौरान पूरी तरह उपयोग नहीं हुई है जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा *** प्रतिशत क्षमता उपयोग से स्पष्ट है। यद्यपि वर्तमान क्षमता वर्तमान भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि वह वर्तमान क्षमता से भी काफी अधिक उत्पादन कर सकता है। यदि चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु का कोई पाटन नहीं हुआ हो। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर उसने संबंधित प्राधिकारियों से क्षमता में *** एमटी की वृद्धि करने का अनुरोध / आवेदन भी किया है। अनुमोदन प्रक्रियाधीन है। तथापि यदि पाटन इतनी तेज गति से जारी रहता है तो घरेलू उद्योग के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करना व्यवहार्य नहीं होगा। प्राधिकारी इस अनुरोध को भी मानते हैं कि एकमात्र आवेदक घरेलू उत्पादक ऐसी स्थिति में अपनी क्षमता बढ़ाने की उम्मीद नहीं कर

सकता है जबकि चीन जन. गण. से भारत में आने वाले पाटित आयातों के कारण मौजूदा क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है।

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घरेलू उद्योग पीयूसी की बढ़ती हुई बाजार मांग के लिए आपूर्ति करने में असमर्थ है, जो मोबाइल कवर और फुटवियर के लिए सोल बनाने के प्रयोग द्वारा पर्याप्त रूप से चालित है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क लगाकार पाटन का उपचार नहीं किया जाता है तो इससे उत्पादन बंद हो सकता है और मौजूदा उत्पादन क्षमता बंद हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो चीन जन. गण. से उत्पादकों / निर्यातकों को भारत में बाजार पर एकाधिकार प्राप्त हो जाएगा और अंतिम प्रयोक्ता पीयूसी की आपूर्ति के लिए केवल चीन पर निर्भर हो जाएंगे। इससे चीन जन. गण. पर निर्भरता पर वृद्धि होगी और अंतिम प्रयोग को खतरा होगा।

128. मोबाइल कवर के प्रयोक्ता उद्योग और फुटवियर के सोल उत्पादक पर पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना पीयूसी के आयात पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव को मोबाइल कवर और फुटवियर सहित डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर 0.01-2 प्रतिशत की रेंज में दर्शाती है। तथापि, इनमें से किसी भी आयातक / प्रयोक्ता ने अपने व्यवसाय पर पीयूसी पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है। प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए असाक्ष्यांकित दावे पर भरोसा करने में असमर्थ हैं।

ञ. क्षति और कारणात्मक संबंध

129. प्राधिकारी नोट करता है कि भारत में आयात की जांच और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है:

क. समग्र रूप से संबद्ध देश से आयात 2019-20 में 5,056 मीट्रिक टन से बढ़कर जांच अवधि पीओआई में 13,780 मीट्रिक टन हो गया है।

ख. क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है।

ग. उत्पादन और क्षमता उपयोग दोनों 2019-20 में 100 अनुक्रमित बिंदुओं से घटकर पीओआई में 93 अनुक्रमित बिंदु हो गए है।

घ. घरेलू बिक्री 2019-20 में 100 अनुक्रमित अंक से घटकर पीओआई में 85 अनुक्रमित अंक हो गई है।

ङ. इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में मांग बढ़ रही है और घरेलू उद्योग ने 2019-20 और 2020-21 में उच्च क्षमता उपयोग हासिल किया है, पीओआई के दौरान क्षमता उपयोग कम है।

च. 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में पीयूसी की मांग में 73% की वृद्धि हुई। हालाँकि, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2019-20 की तुलना में पीओआई में 51% कम हो गई और संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी 2019-20 की तुलना में पीओआई में 58% बढ़ गई। संबद्ध देश से आयात ने मांग में संपूर्ण वृद्धि पर कब्ज़ा कर लिया है।

छ. घरेलू उद्योग का कर पूर्व लाभ 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में 14% कम हो गया है।

ज. 2019-20 की तुलना में घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर रिटर्न पीओआई में 21% कम हो गया है।

झ. चीन पीआर में उत्पादकों/निर्यातकों के पास पर्याप्त स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य क्षमता है जिसका उपयोग भारत में निर्यात बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

ञ. चीन पीआर के उत्पादकों/निर्यातकों की क्षमता चीन पीआर में घरेलू मांग से अधिक है।

ट. अन्य ज्ञात कारक जैसे निर्यात, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं, प्रौद्योगिकी, उपभोग का पैटर्न, मांग में गिरावट से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

130. इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से भारत में पीयूसी के बढ़ते डंप आयात के कारण वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध देश में उत्पादित या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के डंप किए गए आयात में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक मजबूत कारण संबंध मौजूद है।

ट प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

131. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

क. बीएपीएस ने प्रस्तुत किया है कि बीआईएसएल बीएपीएस का एक संबंधित उत्पादक है और उसने पीओआई की समाप्ति के बाद संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, उसने प्रस्तुत किया है कि बीआईएसएल बीएपीएस के समान व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन, क्षति मार्जिन और परिणामी शुल्क का हकदार है क्योंकि यदि व्यक्तिगत उपचार केवल समूह इकाई (इस मामले में बीएपीएस) तक ही सीमित है, जिसने निर्यात किया है जांच की अवधि के दौरान भारत के लिए विषय वस्तु, तो अन्य समूह कंपनियां (इस मामले में बीआईएसएल) न तो अपने माल को उसी दर पर निर्यात कर सकेंगी और न ही नियम 22 के संदर्भ में नए शिपर समीक्षा की हकदार होंगी।

ख. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने प्रस्तुत किया है कि कोवेस्ट्रो एक वैश्विक कंपनी है जिसके जर्मनी आदि कई देशों में विनिर्माण स्थल और कार्यालय हैं, जो उच्च प्रदर्शन वाले पॉलिमर और सामग्रियों के निर्माण में माहिर हैं। इसने आगे कहा है कि कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्रा. लिमिटेड चीन में कोवेस्ट्रो (हांगकांग) लिमिटेड से संबंधित कंपनी है। वर्तमान में, कोवेस्ट्रो इंडिया प्रा. लिमिटेड चीन से संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहा है। हालाँकि, चीन से थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन (टीपीयू) के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बाद, कोवेस्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता यानी जर्मनी में कोवेस्ट्रो से संबद्ध वस्तुओं का आयात शुरू कर सकता है। यह रणनीति कोवेस्ट्रो को चीन पीआर में अन्य उत्पादकों को कमजोर करके भारत में एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दे सकती है।

ग. झेजियांग हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड ने आगे कहा है कि विचाराधीन उत्पाद विभिन्न ग्रेडों में बेचा जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक की अलग-अलग विशेषताएं और बाजार मूल्य हैं। इस विविधता को देखते हुए, उसका अनुरोध है कि प्राधिकारी को

थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन (टीपीयू) के आयात पर परिवर्तनीय शुल्क संरचना की सिफारिश करनी चाहिए।

घ. मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड ने प्रकटीकरण विवरण पर कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

132. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. प्राधिकारी द्वारा अपने प्रकटीकरण विवरण में उल्लेखित विचाराधीन उत्पाद का दायरा सही है। प्राधिकारी द्वारा अपने अंतिम निष्कर्षों में इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

ख. प्राधिकारी की यह टिप्पणी कि आवेदक नियमों के नियम 2(बी) के तहत पात्र घरेलू उद्योग है, और यह कि आवेदन नियमों के नियम 5(3) के अनुसार मानदंडों को पूरा करता है, सही है और अंतिम निष्कर्षों में इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

ग. प्राधिकारी ने सही ढंग से निर्धारित किया है कि चीन पीआर से आयात डंप और हानिकारक आयात है।

घ. आयात की मात्रा, घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों के संबंध में प्राधिकारी की टिप्पणियां स्पष्ट रूप से चीन पीआर से पीयूसी के डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति और और अधिक गंभीर क्षति के खतरे का संकेत देती हैं। प्राधिकारी की टिप्पणियों की पुष्टि अंतिम निष्कर्षों में भी की जानी चाहिए।

ङ. यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले कोई अन्य ज्ञात कारक नहीं हैं। चीन पीआर से डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संबंध है।

च. प्राधिकारी को अपने अंतिम निष्कर्षों में 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन पीआर से पीयूसी के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करनी चाहिए।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

क. इस प्रस्तुति के संबंध में कि बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड बीएएसएफ पॉलीयुरेथेन स्पेशलिटीज चाइना कंपनी लिमिटेड के समान व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन, क्षति मार्जिन और परिणामी शुल्क का हकदार है, प्राधिकारी नोट करता है कि बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग)) कंपनी लिमिटेड जांच अवधि के दौरान पीयूसी का उत्पादक नहीं था। इसलिए, बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड के लिए कोई व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन, क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है और परिणामस्वरूप बीएएसएफ इंटीग्रेटेड साइट (गुआंगडोंग) कंपनी लिमिटेड के लिए कोई एंटी-डंपिंग शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

ख. इस तर्क के संबंध में कि यदि चीन पीआर से आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग जर्मनी में अपनी मूल कंपनी से पीयूसी का आयात शुरू कर सकता है, और बाजार में एकाधिकार बना सकता है, प्राधिकारी नोट करता है कि चीन से पीयूसी का आयात होता है पीआर पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जाएगा और इसे प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि एंटी-डंपिंग शुल्क से एकाधिकारवादी स्थिति का निर्माण होगा। प्राधिकारी यह भी नोट करता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क हमेशा देश-विशिष्ट होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि घरेलू उद्योग अन्य देशों से आयात के साथ-साथ बाजार पर एकाधिकार स्थापित करने में सक्षम होंगे।

ग. इस प्रस्तुति के संबंध में कि पीयूसी के आयात पर ग्रेड-वार परिवर्तनीय शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करता है कि उसने समग्र रूप से पीयूसी के लिए डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। वास्तव में, किसी भी इच्छुक पक्ष ने वर्तमान जांच में पीसीएन पद्धति को अपनाने का अनुरोध नहीं किया। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करता है कि पीयूसी के आयात पर ग्रेड-वार परिवर्तनीय शुल्क की सिफारिश करने की कोई संभावना नहीं है।

ठ. निष्कर्ष

133. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, प्रदत्त साक्ष्यांकित सूचना और रिकार्ड में प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों और पूर्वोक्त पैराग्राफों में जांच तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के निर्धारण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष निम्नानुसार है:

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''थर्मोप्लास्टिक पॉलीयुरेथेन'' (''टीपीयू'') है। टीपीयू एक पिघल प्रक्रिया योग्य थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें प्लास्टिक और रबड़ के अद्‌वितीय गुण होते हैं, जिसमें लोच, पारदर्शिता और तेल, ग्रीज और घर्षण का प्रतिरोध शामिल है। टीपीयू थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर है जिसमें रैखिक खंडित ब्लॉक कॉपोलीमर होता है जो कठोर और नरम खंडों से बना होता है। विचाराधीन उत्पाद में टीपीयू जोकि पाउडर, ग्रैन्यूल्स, छरों, असंशोधित या रंगों, भराव या अन्य एडिटिव्यस द्‌वारा संशोधित रूप में हो सकता है, शामिल है। उत्पाद के दायरे में पोलिस्टर आधारित टीपीयू तथा पोलीएथर आधारित टीपीयू शामिल हैं। पोलिकैप्रोलैक्ट्रोन आधारित टीपीयू विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर है।

ii. विचाराधीन उत्पाद को संबद्‌ध देश से उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है। संबद्‌ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्‌ध वस्तु के आयातों के मामले में बीएएसएफ ग्रुप को छोड़कर सभी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है, बल्कि काफी अधिक पाया गया है।

iii. आवेदक कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड भारत में संबद्‌ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। कोवेस्ट्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एडी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्‌योग और आवेदन एडी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

iv. संबद्‌ध वस्तु के आयातों की मात्रा की जांच से पता चलता है कि संबद्‌ध देश से संबद्‌ध वस्तु के आयातों में पीओआई में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी भारी वृद्‌धि हुई है।

v. यद्‌यपि पीओआई के दौरान घरेलू उद्‌योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। तथापि, संबद्‌ध देश आयातों के बाजार हिस्से में उसी अवधि में भारी वृद्‌धि हुई है।

vi. आयातों की पहुंच कीमत पीओआई में घरेलू उद्‌योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम रही है और इसलिए वह घरेलू उद्‌योग की कीमत में कटौती कर रही है। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत पीओआई में घरेलू उद्‌योग की बिक्री लागत से भी कम रही है।

vii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर आय में 2020-21 से लगातार गिरावट आई।

viii. घरेलू उद्योग के मुख्य आर्थिक मापदंडों जैसे घरेलू बिक्री, उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग इस तथ्य के बावजूद कम रहा है कि मांग में वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग चीन जन. गण. से पाटित आयातों के नहीं होने पर 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल कर सकता है।

ix. घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण क्षति उठानी पड़ी है। क्षति मार्जिन सकारात्मक और काफी अधिक है। यदि चीन जन. गण. से संबंद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति के और बढ़ने तक खतरा भी है।

x. कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति का कारण प्रतीत नहीं होता है। प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण हुई है।

xi. जनहित के संबंध में यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता है बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमत पर बाजार पर प्रवेश करें। प्रयोक्ताओं के पास व्यापक विकल्प और उचित कीमत पर संबद्ध वस्तु की आयात करने की स्वतंत्रता होना जारी रहेगा, जो बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगा।

134. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी पाते हैं कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर किया गया है और संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद के इस पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

ड. सिफारिश

135. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित की गई थी तथा घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू के संबंध में सकारात्मक जानकारी देने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।

136. नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद प्राधिकारी का मत है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की भरपाई के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। अत: प्राधिकारी नीचे वर्णित ढंग और तरीके से संबंद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर 5 वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं।

137. नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में दिए गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को चीन जन. गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित संबद्ध वस्तु के आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच(5) वर्षों के लिए लागू किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष / उपशीर्ष	समान का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क	यूओ एम	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	39095000	थर्मोप्लास्टिक पोलीयूरेथेन(टीपीयू)*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	बीएएसएफ पोलीयूरेथेन स्पेशियलटीज चाइना कंपनी लि०	शून्य	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	झेजियांगहु हुआफोन टीपीयू कंपनी लिमिटेड	1.15	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	मिराकल केमिकल्स कंपनी लिमिटेड	0.93	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर

4.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई देश	क्रम संख्या (1), (2) एवं (3) अलावा कोई भी निर्माता	1.58	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर
5.	-वही-	-वही-	चीन जन. गण के अलावा कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई	1.58	किलो ग्राम	अमेरिकी डॉलर

कस्टम वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

** उत्पादन के दायरे में पॉलिएस्टर आधारित टीपीयू के साथ-साथ पॉलीएथर आधारित टीपीयू शामिल हैं और पॉलीकैप्रोलैक्टोन आधारित टीपीयू को विशेष रूप से उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।*

138. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 8ख, 9, 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

139. इस जांच परिणाम में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीस्टेट) के समक्ष की जाएगी।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी